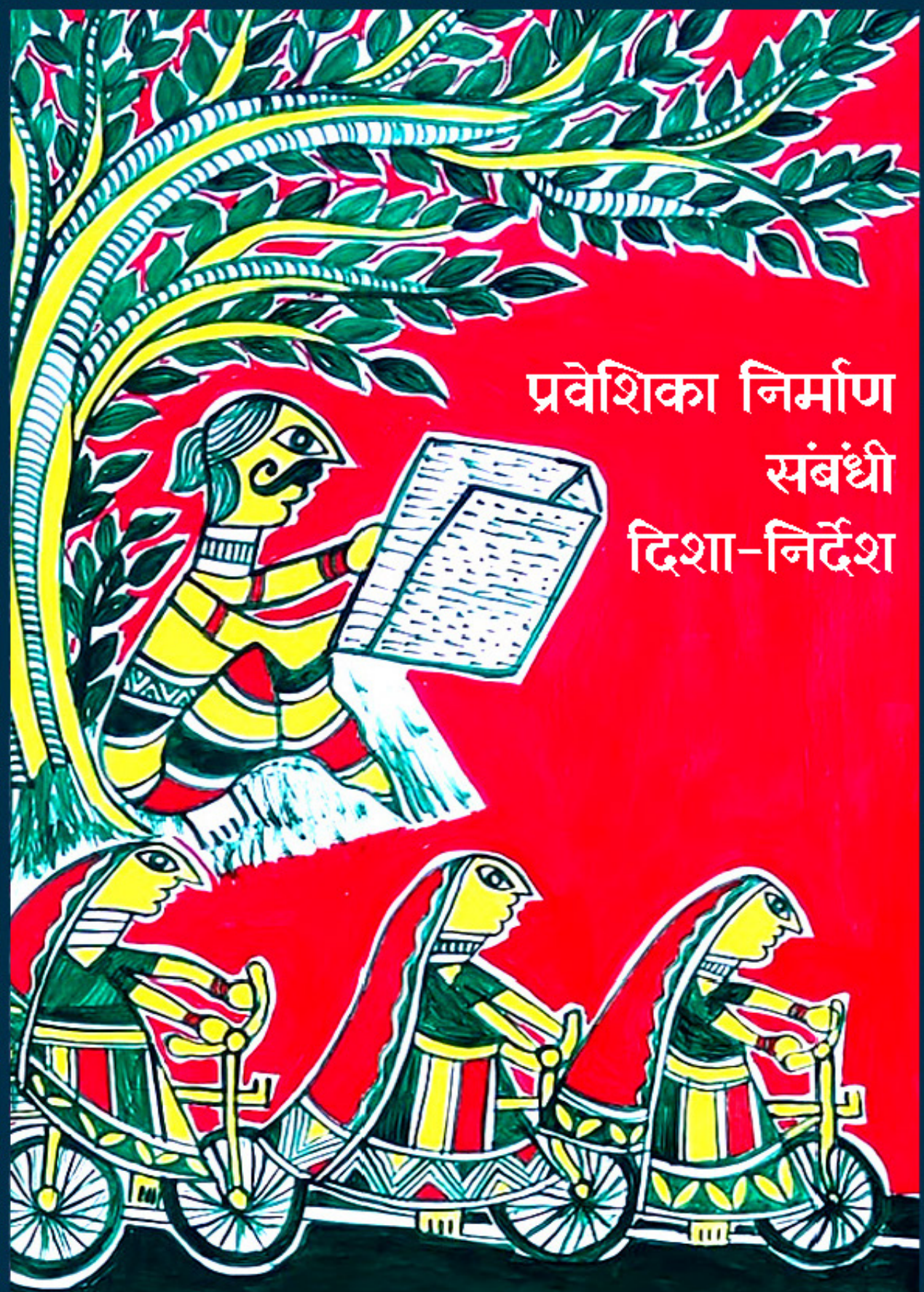
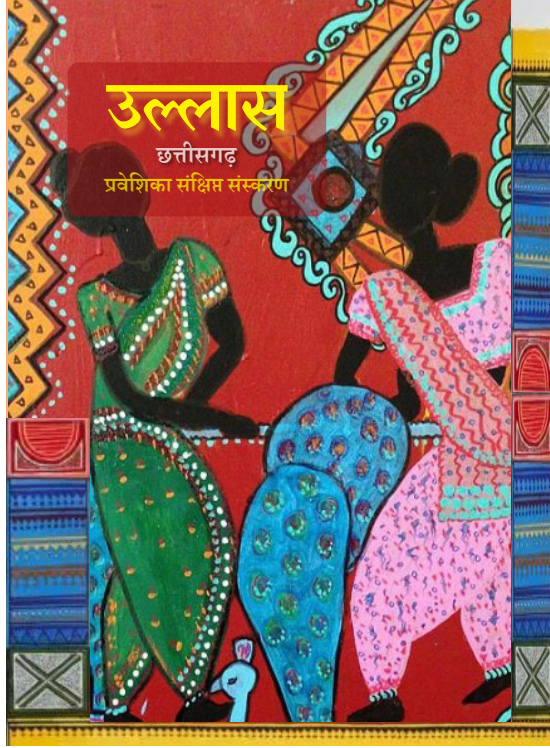
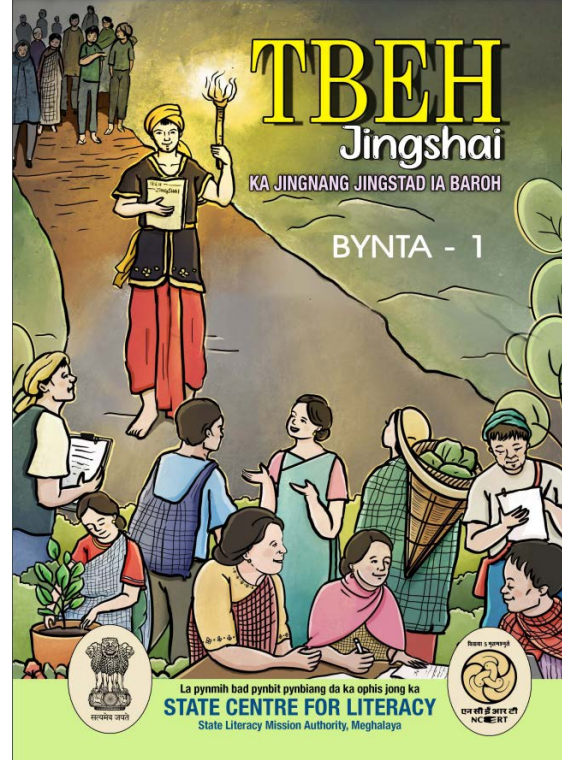


प्रवेशिका निर्माण
संबंधी
दिशा-निर्देश





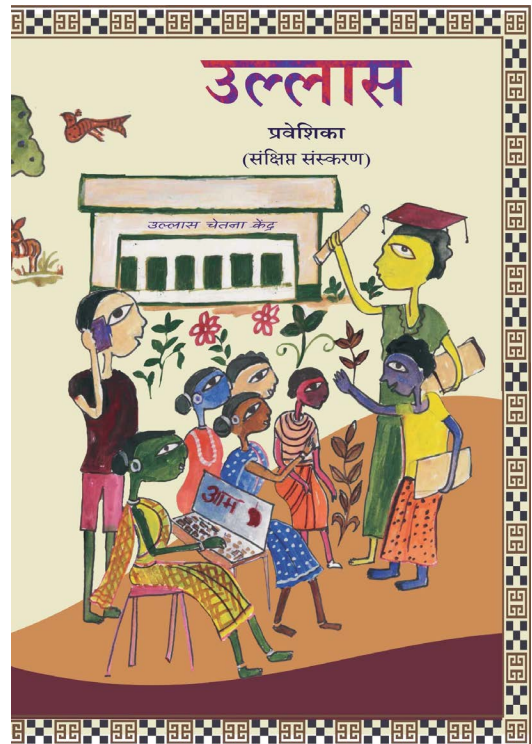
छत्तीसगढ़ (हिंदी)



मेघालय (खासी)



जम्मू और कश्मीर (कश्मीरी)



झारखंड (हिंदी)

प्रवेशिका निर्माण संबंधी दिशा-निर्देश

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING



आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में सबके लिए शिक्षा (पूर्ववर्ती प्रौढ़ शिक्षा) पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में वह 'सरकार द्वारा मजबूत और अभिनव पहल करने की आवश्यकता' पर बल देती है- 'विशेष रूप से सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के हेतु' जो भारत में 100 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को गति देने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रयास सतत जारी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए 01 अप्रैल, 2022 से भारत सरकार एक केंद्र प्रायोजित योजना **उल्लास** - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है जिन्हें उचित स्कूली शिक्षा और अनुगामी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से प्रायोजित **उल्लास का अर्थ है - समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ (ULLAS- Understanding of Lifelong Learning for All in Society)** और इसका आदर्श वाक्य (tagline) है – **जन-जन साक्षर।**

‘उल्लास’ कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रयास किए जा रहे हैं कि असाक्षर व्यक्ति साक्षर बन समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके, सक्षम बन सके और समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एवं ‘उल्लास’ कार्यक्रम की अनुशंसाओं और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ, (CNCL) 2021-22 द्वारा ‘**उल्लास**’ प्रवेशिका (चार भाग) और **उल्लास प्रवेशिका - संक्षिप्त संस्करण** का विकास किया गया है जिनमें शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़े हुए विषय या थीम लिए गए हैं। उनके माध्यम से बुनियादी साक्षरता, संख्या-ज्ञान और वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, पर्यावरण संबंधी साक्षरता आदि महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रवेशिका में विशेष स्थान दिया गया है।

शिक्षार्थियों के पढ़ने-लिखने और अंकगणित सीखने में सहायता के लिए एक मार्गदर्शिका का भी निर्माण किया गया है जो मूलतः स्वयं सेवी शिक्षकों के उपयोग के लिए है। इस मार्गदर्शिका में साक्षरता के व्यापक परिप्रेक्ष्य, भाषा व गणित शिक्षण-मद और सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई है।

प्रवेशिकाओं और मार्गदर्शिकाओं के विकास की यह यात्रा अपने-आप में अत्यंत अद्भुत और अविस्मरणीय रही है। वास्तविक कार्य-क्षेत्रों में जाकर समस्त सामग्री का उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग और परीक्षण किया गया है और उसके आधार पर इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ इस बात का उल्लेख भी आवश्यक है कि परिषद् द्वारा विकसित **प्रवेशिकाएँ उदाहरणस्वरूप** प्रस्तुत हैं। अब अपेक्षा यह है कि विभिन्न राज्य अपने लिए अपनी भाषाओं में अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं की प्रवेशिकाओं का विकास करेंगे। इस कार्य में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से परिषद् द्वारा प्रवेशिका विकास संबंधी इन दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

ये दिशा-निर्देश केवल सुझाव के रूप में प्रस्तुत हैं। इनके आधार पर कार्य करने या इनका उपयोग करने के लिए सभी हितधारक पूर्णतः स्वतंत्र हैं।

प्रवेशिका निर्माण संबंधी इन दिशा निर्देशों में दो अध्याय सम्मिलित हैं। प्रथम अध्याय में 'सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम' और 'उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यहाँ 'उल्लास' के विकास की प्रक्रिया भी दी गई है। अध्याय दो में प्रवेशिका विकास हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं जो यह समझने में सहायक होंगे कि उल्लास प्रवेशिका केवल एक साधन है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेशिका में जिन उदाहरणों को लिया गया है, उनका एक विशेष उद्देश्य है और इस तरह की अन्य सामग्री का प्रयोग करते हुए भी भाषा एवं गणित सीखने में शिक्षार्थियों की सहायता की जा सकती है।

यह सामग्री सरल-सहज भाषा में चित्रों और उदाहरणों के साथ दी गई है ताकि कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी पहुँचाई जा सके।

परिषद् प्रवेशिका विकास संबंधी दिशा-निर्देशों के विकास में सम्मिलित सभी विषय विशेषज्ञों और परिषद् के संकाय सदस्यों, परियोजना-कर्मियों के अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। आशा है सभी राज्य, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी और शिक्षाविद इन दिशा-निर्देशों का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। इन दिशा-निर्देशों के संबंध में आपके सुझावों और टिप्पणियों का स्वागत है।

फरवरी, 2024
नयी दिल्ली

दिनेश प्रसाद सकलानी
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

प्रस्तावना

शिक्षा गुणवत्तापूर्ण जीवन का आधार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने की प्रवृत्ति सदैव काम आती है। सीखना एक बृहद अवधारणा है जिसमें अनौपचारिक और औपचारिक रूप से सीखना सम्मिलित है। इसका अर्थ यह है कि सीखना किसी भी शाला की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है और हम निरंतर सीखते रहते हैं – अपने अपरिवेश से, अपने आस-पास के व्यक्तियों से, दूसरों के अनुभवों से और स्वयं के अनुभवों से भी! शिक्षा मानव का अधिकार भी है और जीवन का लक्ष्य भी! मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (1948) भी यह घोषणा करती है कि 1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। 2. शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। (अनुच्छेद 26) शिक्षा को मानवाधिकार और जीवन से जोड़ने वाली यह दृष्टि देश के विकास को भी प्रभावित करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार 'देश उसी अनुपात में उन्नत हुआ करता है जिस अनुपात में वहाँ के जनसमुदाय में शिक्षा और बुद्धि का प्रसार होता है... यदि हम पुनः उन्नत होना चाहते हैं तो हम जनसमूह में शिक्षा का प्रचार करके वैसे हो सकते हैं।' देश का उन्नति मार्ग भी शिक्षा से होकर गुजरता है अतः जनसमुदाय की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

वस्तुतः शिक्षा की धुरी मानव जीवन है। मानव जीवन की गरिमा और लोकतंत्र की सफलता के लिए भी, स्वतंत्रता एवं समता - दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है – 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।' (अनुच्छेद 14, समता का अधिकार, भारत का संविधान)। संविधान भारतीय नागरिकों को स्वातंत्र्य-अधिकार भी देता है – 'सभी नागरिकों को वाक्- स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य का अधिकार होगा।' (अनुच्छेद 19 (क)); 'कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।' (अनुच्छेद 19 (छ) और 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।' (अनुच्छेद 21) 'राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबंध करेगा।' (अनुच्छेद 21क) ये मौलिक अधिकार व्यक्ति को उसकी गरिमा, सम्मान और अस्तित्व प्रदान करते हैं। साक्षरता इसी गरिमा, सम्मान और अस्तित्व का संरक्षण करने और उचित आजीविका का चयन एवं निर्वहन करने में भी सहायक होती है। पढ़ना-लिखना और संख्या-ज्ञान सीखना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य आवश्यकता है।

भारत सरकार का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, साक्षरता एवं जीवनपर्यंत सीखने की इसी आवश्यकता को केंद्र में रखते हुए 15 और उससे अधिक आयु के सभी अ-साक्षर व्यक्तियों को साक्षर होने के अवसर प्रदान करता है। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का प्रावधान करता है और 15 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों की शिक्षा के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से प्रावधान किए गए हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम 'उल्लास' यानी समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ भी इसी अवधारणा को पोषित करता है कि निरंतर सीखते रहने में साक्षरता एक महत्वपूर्ण घटक है। अ-साक्षर शिक्षार्थियों के लिए पढ़ना-लिखना सीखने और संख्या-ज्ञान में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के साथ-साथ सीखने-सिखाने की सहायक संसाधन सामग्री भी महत्वपूर्ण है। सीखना परिवेशजन्य होता है तो परिवेश में उपलब्ध सामग्री सीखने की सामग्री बन सकती है। इसका अर्थ यह भी है कि संसाधन सामग्री संदर्भित हो और शिक्षार्थी के समाज-संस्कृति से जुड़ी हुई हो। सीखना भी वह

जो जीवन जीने में काम आ सके, जीवन की विभिन्न स्थितियों में जिसका उपयोग किया जा सके। अतः संदर्भ, भाषा, प्रयोग, समय के साथ-साथ उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामग्री का निर्माण किया जाना श्रेयस्कर है। यह भी संज्ञान में हो कि शिक्षार्थियों के परिवेश, अनुभव, चिंतन-क्षमता व स्तर, भाषा, समाज-सांस्कृतिक व आर्थिक संदर्भों में भिन्नता होती है। अतः एक ही प्रकार की संसाधन सामग्री सभी शिक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी हो, यह आवश्यक नहीं है, तथापि सामग्री को शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप संयोजित/रूपांतरित करते हुए उसे प्रयोग में लाया जा सकता है।

शिक्षार्थियों के पढ़ना-लिखना सीखने और संख्या-ज्ञान के लिए प्रवेशिका जैसी संसाधन सामग्री अथवा कोई भी अन्य संसाधन सामग्री अपने-आप में अंतिम नहीं हो सकती, अपितु उसमें विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप निरन्तर परिमार्जन की अपेक्षा रहेगी ही। इस दृष्टि से हमें अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए पूर्व निर्मित सामग्री में जहाँ निरन्तर संशोधन करते रहना होगा, वहीं निरन्तर नूतन संसाधन सामग्री का निर्माण भी करते रहना होगा। भाषा की विभिन्न कुशलताएँ और गणित की विभिन्न अवधारणाएँ एकीकृत होती हैं। गणितीय अवधारणाओं को सीखने के लिए भाषा माध्यम बनती है और उन सीखी गई अवधारणाओं का प्रयोग भाषा के माध्यम से ही होता है। उदाहरण के लिए, किसी दुकान में चीजों के लिखे हुए नाम और मूल्य को पढ़ना, यह सोचना कि ज़रूरत का क्या सामान लिया जाना है, दुकानदार से ज़रूरी सामान देने के लिए कहना, खरीदे गए सामान का बिल पढ़ना और धन राशि देना; भाषा (पढ़ना) और गणित की कुशलता (दर के हिसाब से कुल राशि का निर्धारण, बिल देखकर रुपये-पैसे का हिसाब लगाना, मूल्य देना और बचे हुए पैसे वापिस लेना)-भाषा और गणित की एकीकृत कुशलताओं की माँग करती हैं। अतः प्रवेशिका में भाषा और गणित को एकीकृत रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान के लिए सीखने के प्रतिफलों को केंद्र में रखना और जीवन की विभिन्न स्थितियों में उनके प्रयोग की संभावनाओं को बढ़ाना प्रवेशिका एवं अन्य सामग्री के निर्माण एवं चयन में सहायक होगा।

परिषद् प्रवेशिका निर्माण संबंधी दिशा-निर्देशों को तैयार करने के संदर्भ में डॉ. सत्यवीर सिंह, प्राचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, बागपत, उत्तर प्रदेश और श्री अक्षय कुमार दीक्षित, मेंटर शिक्षक, शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। साथ ही राष्ट्रीय साक्षरता प्रकोष्ठ की भावना खेड़ा, जेपीएफ, जावेद आलम, जेपीएफ (उर्दू), शुभम कुमार, सीनियर ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ज्योति तिवारी, परामर्शदात्री, एवं अन्य परियोजना-स्टाफ़ के अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

‘सभी के लिए शिक्षा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में प्रवेशिका निर्माण के आधार-बिंदु प्रस्ताव मात्र हैं, इन्हें और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं।

असीम शुभकामनाएँ!

फरवरी, 2024

नयी दिल्ली

उषा शर्मा

प्रोफेसर एवं प्रभारी

राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

प्रवेशिका निर्माण-समिति

अध्यक्ष

दिनेश प्रसाद सकलानी, निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

समीक्षा समिति

आयुष्मान गोस्वामी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, राजस्थान
कंचन देवरारी, अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., देहरादून, उत्तराखंड
चाँदकिरण सलूजा, निदेशक, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
प्रशांत पाण्डेय, सहायक निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर, छत्तीसगढ़
संजीव कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य, डाइट, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
सत्यवीर सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, बागपत, उत्तर प्रदेश
उषा शर्मा, प्रोफेसर एवं प्रभारी, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

निर्माण-समिति

अक्षय कुमार दीक्षित, मेंटर, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
ज्योति तिवारी, परामर्शदाता, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
निशात फ़ारूक, पूर्व निदेशक, राज्य संसाधन केंद्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली
भावना खेड़ा, कनिष्ठ परियोजना अध्येता, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
सत्यवीर सिंह, प्राचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, बागपत, उत्तर प्रदेश

सदस्य समन्वयक

उषा शर्मा, प्रोफेसर एवं प्रभारी, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र-प्रकोष्ठ, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

आभार

परिषद्, उन सभी विषय-विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिनके ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन ने प्रवेशिका निर्माण संबंधी दिशा-निर्देश के निर्माण में योगदान दिया। साथ ही उन रचनाकारों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिनकी रचनाओं ने प्रवेशिका की विषय-वस्तु समृद्ध बनाया और शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान की कुशलता प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित किया।

इसके साथ ही पुस्तक में चित्रांकन के लिए परिषद् सभी चित्रकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है जिनके चित्रों ने प्रवेशिका के चिंतन-बिन्दुओं को साकार रूप प्रदान किया। साथ ही, जीवन के विभिन्न आयामों को विस्तार दिया और गहरी समझ विकसित की।

परिषद्, मंजूषा शैली में आवरण पृष्ठ के चित्रांकन के लिए ज्योति कुमारी, नूतन श्रीवास्तव और अनुकृति कुमारी, बिहार का विशेष आभार व्यक्त करती है।

प्रवेशिका निर्माण संबंधी दिशा-निर्देश पुस्तिका के निर्माण में विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए योगेश प्रताप सिंह, डी.टी.पी. ऑपरेटर, शुभम कुमार, सीनियर ग्राफ़िक डिज़ाइनर, जितेंद्र, टाइपिस्ट के आभारी हैं, जिनके सहयोग से इस कार्य को पूरा करने में मदद मिली।

प्रकाशन प्रभाग से मिले सहयोग का परिषद् आभार व्यक्त करती है।



अपने लघु व्यवसाय को अब और ऊँचाई देनी है, पढ़-लिख कर सफलता पाने की नई कहानी बुननी है।



उल्लास
ULLAS



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING





शिक्षा प्रवेशिका पुस्तक, कुछ ऐसी आकर्षक लगी। साक्षर बनकर जीने की, मन में इक लगन लगी।



उल्लास
ULLAS



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING



विषय-सूची

आमुख	i
प्रस्तावना	iii
प्रवेशिका निर्माण-समिति	v
आभार	vii

1.जन-जन हो साक्षर -एक यात्रा 1-7

- सबके लिए शिक्षा : एक परिचय
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सबके लिए शिक्षा
- उल्लास : नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
- प्रवेशिका 'उल्लास' के निर्माण की प्रक्रिया

प्रवेशिका : चिंतन-बिंदु 8-10

2.प्रवेशिका निर्माण : दिशा-निर्देश 11-37

अध्याय 1

जन-जन हो साक्षर - एक यात्रा

शिक्षा मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी घटक है। शिक्षा जीवन में स्थिरता भी प्रदान करती है और यह हमारे सामाजिक उत्थान और मानसिक विकास का भी कारक है। अतः यह आवश्यक है कि सीखने-सिखाने के नए अवसरों की संभावनाएँ खोजी जाएँ और उन्हें जन-जन तक पहुँचाया जाए। संधारणीय विकास लक्ष्य (एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (2015)) का लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में है जो समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देने का समर्थन करता है। लक्ष्य 4 का छठा बिंदु (4.6) सार्वभौमिक साक्षरता और संख्या-ज्ञान से संबद्ध है और विशेष रूप से कहता है कि 2030 तक यह सुनिश्चित करें कि सभी युवा और वयस्कों का एक बड़ा हिस्सा, पुरुष एवं स्त्री दोनों, साक्षरता तथा संख्या-ज्ञान प्राप्त करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित नई योजना 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' को मंजूरी प्रदान की है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अ-साक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास जीवन जीने का पर्याप्त अनुभव है, वे चीजों को जानते-समझते हैं परंतु जो पढ़ने-लिखने एवं संख्या-ज्ञान की क्षमता न होने के कारण अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। यह कार्यक्रम एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ अ-साक्षर लोगों को साक्षरता की सीढ़ी से जोड़कर देश को आगे बढ़ाने के नए विकल्पों की ओर हम सभी को अभिप्रेरित करता है।

सबके लिए शिक्षा : एक परिचय

सबके लिए शिक्षा (पूर्ववर्ती प्रौढ़ शिक्षा) विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें समाज द्वारा वयस्क माना जाता है। सवाल यह है कि प्रौढ़ शिक्षा का महत्व क्या है और यह किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा केवल विद्यालयों की कक्षाओं तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को सरलतापूर्वक संपन्न करने में सहयोग करती है। शिक्षा हमें जागरूक, सक्षम और कार्य कुशल बनाती है। इससे कोई भी व्यक्ति अपनी तकनीकी या व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ा सकता है, अपनी क्षमताओं को और विकसित कर सकता है, और अपने ज्ञान को निम्नलिखित में से एक या कई लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समृद्ध कर सकता है-

- औपचारिक शिक्षा के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने के लिए।
- एक नए क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और दक्षता हासिल करने के लिए।
- किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपने ज्ञान को ताज़ा या अद्यतन (update) करने के लिए।

सबके लिए शिक्षा (पूर्ववर्ती प्रौढ़ शिक्षा) का इतिहास पुराना है और इसे पहले कई नामों से जाना और पहचाना जाता था। इसे 'सतत शिक्षा', 'आवर्ती शिक्षा' और 'दूसरा मौका शिक्षा' के रूप में भी जाना जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के पूरे इतिहास में, अवधारणा अपने नाम में कई बदलावों के साथ विकसित हुई है। 1947 तक, मौलिक धारणा 'बुनियादी शिक्षा' थी, जो एक पारंपरिक पद्धति पर आधारित थी और एक रात्रि विद्यालय पाठ्यक्रम पर केंद्रित थी। 'नागरिक साक्षरता' की धारणा, जो जीवन-उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित थी और सामाजिक शिक्षा पर केंद्रित थी, 1949 और 1966 के बीच कार्यरत थी। (1967 और 1977 के बीच, कार्य-उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित 'कार्यात्मक साक्षरता' की धारणा के अंतर्गत, कार्यात्मक साक्षरता, किसान शिक्षा और श्रमिक विद्यापीठ पर बल देने के साथ प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था)। 1978 से, 'विकासात्मक साक्षरता' अवधारणा अधिक लोकप्रिय थी, जो सामाजिक परिवर्तन की रणनीति पर आधारित थी और समग्र साक्षरता पहल पर केंद्रित थी। रात्रि विद्यालयों के आगमन के साथ, जिन्हें 1929 में सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, बुनियादी साक्षरता की धारणा उभरी। इस योजना के पाठ्यक्रम को दो साल से अधिक समय दिया गया था और इसमें 3 R's - अक्षर को पढ़ना लिखना और अंकज्ञान, ऐतिहासिक कथाओं और बुनियादी स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण में मामूली सबक शामिल थे। इसके अंतर्गत शाम को करीब दो से तीन घंटे तक प्रशिक्षण चला करता था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सबके लिए शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में सबके लिए शिक्षा (पूर्ववर्ती प्रौढ़ शिक्षा) पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 21.4 में यह कहा गया है कि "प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार द्वारा मजबूत और अभिनव पहल करने की आवश्यकता है - विशेष रूप से सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए"- जो भारत में 100 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को गति देने में मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबके लिए शिक्षा (पूर्ववर्ती प्रौढ़ शिक्षा) के पाँच घटकों को शामिल करने की भी अनुशंसा की गई है, जैसे -

- मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान
- महत्वपूर्ण जीवनकौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, और परिवार कल्याण सहित)
- व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से)
- बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित)

- सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन के साथ-साथ रुचि के अन्य विषयों या स्थानीय शिक्षार्थियों के उपयोग के लिए समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम, जैसे, महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित)।

इन पाँचों घटकों को गहराई से देखने पर यह ज्ञात होता है कि ये जीवन के अनेक महत्वपूर्ण आयाम हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन की गरिमा बनाए रखने में सहायक होंगे।

उल्लास : नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और केंद्रीय बजट घोषणाओं वित्त वर्ष 2021-22 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-2027 के लिए भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नाम से केंद्र प्रायोजित नई योजना को प्रारम्भ किया है जिसे लोकप्रिय रूप से 'उल्लास' के नाम से जाना जाता है - समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 'प्रौढ़ शिक्षा' के स्थान पर 'सभी के लिए शिक्षा' शब्द का उपयोग करने का विकल्प चुना, क्योंकि इसमें 15 और उससे अधिक आयु के उन सभी अ-साक्षरों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित किया गया है जिन्हें किन्हीं कारणों से उचित विद्यालयी शिक्षा नहीं मिल पाई और जिन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिससे वे भी सक्षम बन सकें और समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकें। इस योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित पाँचों घटकों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अ-साक्षर शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों के लिए अवसर की उपलब्धता एवं कुशलता का विकास करना भी है। वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान का लक्ष्य 1 करोड़ शिक्षार्थी प्रति वर्ष की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थी हैं जिन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से सीखने के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों को मिश्रित करते हुए साक्षर बनाना है। 'उल्लास' ऐप पर अ-साक्षर शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षक के पंजीकरण का प्रावधान है जिसमें नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि जैसी आवश्यक जानकारी दी जाती है। स्वयंसेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन फेस-टू-फेस मोड के माध्यम से करने का प्रावधान है। सभी प्रकार की संसाधन सामग्री आसानी से सुलभ डिजिटल मोड, जैसे, टीवी, रेडियो, सेल फोन-आधारित फ्री/ओपन-सोर्स ऐप/पोर्टल आदि के माध्यम से पंजीकृत स्वयंसेवकों तक आसान पहुँच के लिए डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना में विद्यालय योजना के क्रियान्वयन की इकाई है और विद्यालयों का उपयोग अ-साक्षर शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षण करने के लिए किया जा रहा है। वस्तुतः उल्लास (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) स्वैच्छिकता की भावना से प्रेरित है और एक जन-आंदोलन के रूप में जन-जन को साक्षर बनाने का कार्य किया जा रहा है।



(स्रोत- यूडाईज के तहत पंजीकृत स्कूलों के आँकड़े
<https://nilp.education.gov.in/nilp/#/about-us>)

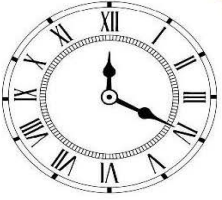
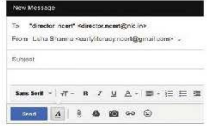
देशभर के अ-साक्षर युवाओं और वयस्कों को साक्षर बनाने के साथ-साथ उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है। यह भी सत्य है कि भारत विविधताओं का देश है, अतः इस योजना में पर्याप्त लचीलापन है और राज्य अपनी स्थानीय विशेषताओं को केंद्र में रखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी रणनीतियाँ स्वयं बनाएँगे। सामाजिक चेतना केंद्रों की स्थापना, स्वयंसेवकों की सामूहिक विशेषज्ञता और समर्पण का भाव, सामुदायिक जुड़ाव की मजबूत भावना को बढ़ावा देना, राष्ट्र निर्माण के प्रति सामाजिक कर्तव्य बोध की निर्वहन योजना के मुख्य बिंदु हैं। जो विद्यार्थी इस योजना में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें स्कूल/विश्वविद्यालय में क्रेडिट और प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र, अभिनंदन आदि जैसे, अन्य माध्यमों से सराहना के अवसर प्रदान करने के प्रावधान किए जा रहे हैं।

प्रवेशिका 'उल्लास' के निर्माण की प्रक्रिया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अनुशंसाओं और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ, (CNCL) 2021- 22 में 'उल्लास' प्रवेशिका का निर्माण किया गया। इस प्रवेशिका के चार भाग हैं जिनमें 13 थीम या अंतर्वस्तु हैं जो शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसमें बुनियादी साक्षरता, संख्या-ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल को समान रूप से सम्मिलित किया गया है। महत्वपूर्ण जीवन कौशल के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता और पर्यावरण संबंधी साक्षरता आदि विषयों को इस प्रवेशिका में विशेष स्थान दिया गया है।

■ देखिए, पढ़िए और बातचीत कीजिए

आप अपने मोबाइल में इनमें से किन-किन का उपयोग करते हैं? सही (✓) का निशान लगाइए-

 घड़ी	 कैलेंडर	 व्हाट्सऐप	 एस.एम.एस.
 कैलकुलेटर	 गूगल मेप	 यू-ट्यूब	 ई-मेल
 फ़ेसबुक	 संपर्क सूची	 दीक्षा	 टॉर्च

शिक्षक-निर्देश— सहभागियों के साथ एक-एक करके दिए गए चित्रों की पहचान करवाएँ। उन चित्रों के नीचे लिखे शब्द पढ़वाएँ। उनके इस्तेमाल के बारे में बातचीत करें। हो सकता है कि कुछ सहभागी इनके इस्तेमाल और कामों से परिचित न हों।

उल्लास – भाग 4, पाठ 13, पृष्ठ 302

इन चारों भागों में हिंदी और गणित सीखने की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। इनमें भाषा की समझ बनाने पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें पढ़कर समझना और समझकर पढ़ना – दोनों पक्षों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पढ़ने-लिखने के साथ समझना-समझाना, अपनी राय बनाना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, समझकर लिखना आदि को शामिल किया गया है। इसी तरह गणित में अंक ज्ञान के साथ-साथ गणितीय अवधारणाओं की समझ व उनका दैनिक जीवन में प्रयोग सम्मिलित है।



उल्लास – भाग 3, पाठ 8, पृष्ठ 196-197

प्रवेशिका को 4 खंडों और 13 उपविषयों में विभाजित किया गया है। सभी पाठों को इस तरह से बनाया गया है कि शिक्षार्थी विषयों से जुड़ाव महसूस करें और अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को विषयों से जोड़कर बातचीत कर सकें। प्रवेशिका में दिए गए विषय इस प्रकार हैं- परिवार और पड़ोस, बातचीत, खानपान और स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, पर्यावरण, चुनावी साक्षरता, आपदा प्रबंधन, पैसे, समय, यात्रा करना और मनोरंजन। राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों से दृष्टांतों, कहानियों, कविताओं आदि का उपयोग किया गया है। प्रवेशिका के निर्माण में अपनी क्षमता से भाग लेने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। उदाहरण के लिए, प्रवेशिका का मुख्य आवरण मधुबनी कला में बनवाया गया है, जो बिहार की लोककला के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। कई अन्य पाठों में विभिन्न कलाओं को सम्मिलित किया गया है जैसे, गोंडकला आदि। हमने वास्तविक जीवन की स्थितियों को चित्रित करने की कोशिश की है, जैसे, सड़कों पर घूमते लोग, खेल रहे बच्चों का एक समूह, महिलाएँ एक-दूसरे से बात कर रही हैं, बाज़ार, गाँव के दृश्य, अर्ध शहरी कस्बे और पर्यावरण संबंधी तस्वीरें आदि। इन्हें इस तरह से गढ़ा गया है कि वे शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन के पाठ्यक्रम से आसानी से जोड़ सकें और अवधारणाओं को सीखने और समझने में मदद कर सकें।

मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल के आधार पर एकीकृत रूप में ऊपर वर्णित पाठ बनाए गए हैं, ताकि शिक्षार्थी संचयी रूप से एक ही बार में सीखने, लिखने और समझने में सक्षम हो सकें।

11 मनोरंजन

हम सीखेंगे

- आकृतियों की समझ बनाना (वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला इत्यादि)
- आकृतियों और संख्याओं के पैटर्न की समझ बनाना

मुफ्त ही मुफ्त

एक दिन भीखूभाई का मन नारियल खाने का हुआ। लेकिन घर में तो एक भी नारियल नहीं था।

“ओहो! अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा,” उन्होंने अपनी पत्नी लाभुबेन से कहा।

लाभुबेन बोली, “खाना है तो जाना है।”

भीखूभाई ने कहा, “पैसे खर्च करने पड़ेंगे।”

लाभुबेन बोली, “हाँ! पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे।”

भीखूभाई ज़रा कंजूस था। मगर नारियल खाने के लिए जी ललचा रहा था। वे लाभुबेन से बोले, “अच्छा, मैं बाज़ार तक हो आता हूँ।”

भीखूभाई बाज़ार निकल पड़े। बाज़ार में लोग अपने-अपने कामों में लगे थे। भीखूभाई देखते-पूछते, नारियलवाले के पास पहुँच गए।



“ऐ नारियलवाले, नारियल कितने में दोगे?” - भीखूभाई ने पूछा।

नारियलवाले ने कहा, “बस, दो रुपए में, काका।”

भीखूभाई ने आँखें फैलाकर कहा, “दो रुपए! दाम बहुत ज़्यादा है, एक रुपए में दे दो।”

नारियलवाले ने कहा, “ना जी ना।”

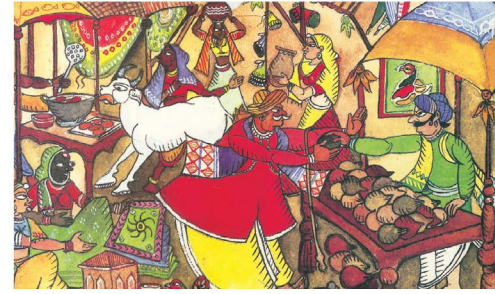
भीखूभाई बड़बड़ाते हुए बोले, “तो बताओ, एक रुपए में कहाँ मिलेगा?”

नारियलवाले ने कहा, “यहाँ से थोड़ी दूर एक मंडी है। शायद वहाँ मिल जाए।”

भीखूभाई मंडी की तरफ चल पड़े।

मंडी में लोगों की ऊँची-ऊँची आवाज़ें गूँज रही थीं।

भीखूभाई ने माथे का पसीना पोंछा। इधर-उधर देखा। फिर एक नारियलवाले से पूछा- “अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे?”



उल्लास – भाग 4, पाठ 11, पृष्ठ 250-251

खंड 4 के एक अध्याय में ‘भीखू भाई की कहानी’ सम्मिलित की गई है, यह हमें गुजरात की संस्कृति की झलक देती है। डिजिटल, वित्तीय और कानूनी साक्षरता प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हाल की नीतियों को कहानियों और कविताओं के माध्यम से शिक्षार्थियों के लिए समझना आसान बनाया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के कुछ लोकगीतों को प्रवेशिका में डाला गया है, जैसे, ‘ददरिया लोकगीत’।

इन मापदंडों पर तैयार प्रवेशिका की समीक्षा करने के लिए विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा, भाषाओं और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के विशेषज्ञों के साथ समीक्षा समिति का गठन किया गया था। उनकी सिफारिशों और सुझावों के आधार पर प्रवेशिका में बदलाव किए गए। प्रवेशिका तैयार हो जाने के बाद उसके परीक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए उल्लास के क्षेत्रीय परीक्षण के लिए आठ हिंदी भाषी राज्यों का चयन किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, बिहार और झारखंड शामिल थे। प्रवेशिका मूलरूप से हिंदी भाषा में बनायी गई हैं इसलिए हिंदी भाषी राज्यों को क्षेत्रीय परीक्षण के लिए चुना गया था। इन राज्यों में उल्लास के चारों खंडों के 13 विषयों का परीक्षण किया गया जिसमें प्रवेशिका के व्यावहारिक पक्षों पर शिक्षार्थियों, इससे जुड़े व्यक्तियों और सीएनसीएल टीम के सदस्यों द्वारा एकत्रित जानकारी का उपयोग करते हुए प्रवेशिका में आवश्यक संशोधन किए गए। इसके बाद ही प्रवेशिका को अंतिम रूप देकर दीक्षा पोर्टल पर सभी के अधिकतम प्रयोग के लिए अपलोड किया गया है।

आशा है कि प्रवेशिका जन-जन को साक्षर बनाने में सहायक होगी जिससे शिक्षार्थी सशक्त और सक्षम हो समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे।

प्रवेशिका — चिंतन-बिंदु

प्रवेशिका मूलतः एक संसाधन-सामग्री है, एक उपकरण है, एक साधन है जिसका उपयोग उन शिक्षार्थियों के पढ़ने-लिखने और संख्या सीखने के लिए उत्प्रेरक वातावरण के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जो भिन्न-भिन्न कारणों से अपनी प्रारंभिक आयु में अक्षर-ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए। यह प्रवेशिका एक ओर जहाँ शिक्षार्थियों को पढ़ने-लिखने संबंधी सामग्री प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर, स्वयंसेवी शिक्षकों को यह भी दिशा-निर्देश प्रदान करती है कि अंततः हमारा लक्ष्य क्या है? और हमें उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है!

यह सत्य है कि ‘पढ़ना-लिखना’ एवं ‘गणितीय अवधारणाओं’ को सीखने/सिखाने के लिए हमारे पास पढ़ने-लिखने एवं गणितीय अवधारणाओं को सीखने/सिखाने की सामग्री भी होनी चाहिए। इस रूप में बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान साध्य है तो प्रवेशिका आदि संसाधन सामग्री साधन मात्र हैं। यह बिंदु अत्यंत ध्यान में रखने योग्य है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताएँ होती हैं। परिणामतः उनके द्वारा साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करने से सम्बन्धित उद्देश्यों में भी भिन्नताओं का होना अत्यंत स्वाभाविक होगा। उनके परिवेश, अनुभव, चिंतन-क्षमता व स्तर, भाषा, समाज-सांस्कृतिक व आर्थिक संदर्भों में भिन्नता होती है। अतः एक ही प्रकार की संसाधन सामग्री सभी शिक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी हो, यह आवश्यक नहीं है, तथापि सामग्री को शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप संयोजित/रूपांतरित करते हुए उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रवेशिका जैसी संसाधन सामग्री अथवा कोई भी अन्य संसाधन सामग्री अपने-आप में अंतिम नहीं हो सकती, अपितु उसमें विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिमार्जन की अपेक्षा रहेगी ही, और इस दृष्टि से हमें अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए पूर्व निर्मित सामग्री में जहाँ निरंतर संशोधन करते रहना होगा, वहीं निरंतर नूतन संसाधन सामग्री का निर्माण भी करते रहना होगा।

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ‘प्रवेशिका’ बुनियादी पढ़ना-लिखना और संख्या सीखने-सिखाने का प्रवेश द्वार है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात् इस रूप में एक उचित दिशा मिलती रहनी चाहिए कि क्या करना है! और कैसे करना है? यह प्रवेशिका केवल साधन है, उपकरण है जिसे आधार बनाते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। प्रवेशिका के अतिरिक्त अन्य प्रकार की दृश्य-श्रव्य सामग्री भी बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान को सीखने में सहायक होती है। हमें इस तरह की भी सामग्री का निर्माण करते रहना होगा।

सबके लिए शिक्षा (पूर्व में प्रौढ़ शिक्षा) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसाओं के आलोक में देखने की आवश्यकता है। यहाँ यह अपेक्षा की गई है कि शिक्षार्थी बुनियादी साक्षरता से प्रारंभ करते हुए डिजिटल दुनिया के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करने की दक्षता भी प्राप्त कर सकेंगे। इस अर्थ में साक्षरता एक व्यापक अवधारणा है जो केवल अक्षर या संख्या-ज्ञान तक परिसीमित नहीं है बल्कि विभिन्न संदर्भों में विषयों को दृश्य, श्रव्य और डिजिटल सामग्री का उपयोग करके पहचानने, समझने, रचने, गणना करने एवं संवाद करने की क्षमता

है। (अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता संघ (आईएलए) से उद्धृत)। साक्षरता का यह वितान शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं गरिमामय जीवन जीने में सहायक है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2022 में प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उन सभी शिक्षार्थियों के लिए पढ़ने-लिखने के अवसर उपलब्ध कराना है जो किन्हीं कारणों से साक्षरता और संख्या-ज्ञान अर्जित नहीं कर सके। प्रवेशिका (अथवा उल्लास) भाषा और गणित के बुनियादी कौशलों को अर्जित करने में सहायता करती है।

यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। और, यह संरचना भाषा के प्रत्येक स्तर पर दृष्टिगत होती है, चाहे वह भाषा विशेष की ध्वनि-संरचना हो, शब्द-संरचना हो या फिर वाक्य संरचना। शब्दों को उनके अर्थ उसके भाषा-समुदाय से ही मिलते हैं। यही कारण है कि जहाँ एक ही वस्तु के लिए अलग-अलग भाषाओं में अलग शब्द मिलते हैं वहीं एक ही शब्द अलग-अलग भाषा-समाजों में अलग-अलग अर्थ देता है। अतः भाषा को उसके सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समझना होता है। कारण स्पष्ट है कि अंततः भाषा का व्यवहार समाज में ही होता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए होता है।

एक अन्य बिंदु यह भी है कि भाषा के 'मौखिक और लिखित' दोनों रूप महत्वपूर्ण हैं। पढ़ना-लिखना सीखने-सिखाने में दोनों का प्रयोग अपेक्षित है। अपनी मौखिक भाषा और विचार से संपन्न शिक्षार्थी बोलकर अपनी बात को कहने-सुनने में सक्षम हैं, तो केवल भाषा के लिखित रूप को पढ़ने-लिखने की कुशलता अर्जित करनी है। अनेक शिक्षार्थी इन दोनों कुशलताओं में भी आंशिक रूप से दक्ष हो सकते हैं, अतः भाषा के मौखिक रूप के प्रयोग के माध्यम से भाषा के लिखित रूप तक पहुँचने का प्रयास करना होगा, इससे शिक्षार्थी में जहाँ एक ओर आत्मविश्वास आता है, वहीं दूसरी ओर पढ़ना-लिखना सीखने के प्रति ललक भी उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि उनके लिए पढ़ना-लिखना सीखना पूर्णतः नया अभ्यास नहीं रहेगा। वे अनुभूत करने लगेंगे कि एक लंबी यात्रा का अधिकांश मार्ग तय कर लिया है। पढ़ना-लिखना सीख लेंगे तो शेष दूरी भी तय हो जाएगी और वे अपने लक्ष्य पर पहुँच जाएँगे।

बुनियादी संख्या-ज्ञान के संदर्भ में यह समझना अपेक्षित है कि शिक्षार्थी अपने जीवन में मौखिक रूप से गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं और भली-भाँति हिसाब-किताब कर लेते हैं। जो शिक्षार्थी संख्याओं और उनके लिखित नामों (कोई एक संख्या कैसे लिखी हुई दिखती है) से परिचित नहीं हैं, उन्हें थोड़ा और अधिक संख्या-ज्ञान अर्जित करने में सहायता करने की देर है, वे शीघ्र ही इस बुनियादी संख्या-ज्ञान की कुशलता को भी अर्जित कर लेंगे और जीवन के विभिन्न संदर्भों में इस कुशलता का प्रयोग भी कर लेंगे। उन्हें पुनः यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि बस थोड़ी-सी यात्रा शेष है।

प्रवेशिका का निर्माण करते हुए शिक्षार्थियों को यही विश्वास दिलाने के लिए अनेक अवसर जुटाए जाने चाहिए ताकि वे समझ के साथ भाषा और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर सकें। ये अवसर उनके जीवन के निकटीय परिवेश से जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि इन बुनियादी कौशलों का प्रयोग अंततः अपने परिवेश में ही

किया जाना है। शिक्षार्थियों के जीवन के विभिन्न संदर्भों में डिजिटल उपकरण और उससे जुड़ी डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, पर्यावरण संबंधी साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की समझ भी शामिल है। प्रवेशिका में इन बिंदुओं को भी स्थान देना उचित रहेगा, जिससे हम जीवन के हर पक्ष का लाभ उठा सकेंगे और गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकेंगे।

प्रवेशिका निर्माण के आधार-बिंदु परामर्श हेतु हैं। इनमें बार-बार ‘उल्लास’ शीर्षक प्रवेशिका से उदाहरण लिए गए हैं ताकि साक्षरता और संख्या-ज्ञान संबंधी बिंदु ठीक से समझ आ सकें। अपेक्षित यह है कि राज्य अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवेशिका का निर्माण कर सकें। सभी राज्य ‘उल्लास’ प्रवेशिका की विषय-सामग्री को अपनी भाषाओं की विशिष्ट संरचना के आलोक में संयोजित अथवा रूपांतरित भी कर सकते हैं अथवा प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के आधार पर नई प्रवेशिका का निर्माण भी कर सकते हैं।

अध्याय 2

प्रवेशिका निर्माण के दिशा-निर्देश

उल्लास प्रवेशिका उन सभी शिक्षार्थियों को केंद्र में रखकर बनाई गई है –

- जिनके पास जीवन का बृहद् अनुभव हैं, जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने का साहस है,
- जो शिक्षित तो हैं लेकिन जो साक्षर नहीं।

ये वे शिक्षार्थी हैं जिनकी आयु 15 वर्ष अथवा उससे ऊपर की है और वे अपने जीवन के अलग-अलग संदर्भों में अपनी मातृभाषा के मौखिक रूप का प्रयोग आवश्यकतानुसार कुशलतापूर्वक करते हैं।

अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को सुनकर समझने की योग्यता रखने वाले ये शिक्षार्थी गणित का व्यावहारिक प्रयोग भी जानते व समझते हैं। लेकिन संभवतः भाषा और गणित के लिखित रूप से इनका अधिक अथवा बिलकुल भी परिचय न हो। यह भी संभव है कि –

- जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर और अलग-अलग संदर्भों में साक्षरता और गणित की बुनियादी क्षमता न होने के कारण इन शिक्षार्थियों को असफलता, निराशा अथवा ठगी का सामना करना पड़ा हो अथवा पड़ता हो।
- परिश्रम से अर्जित किया गया धन बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान के अभाव में यूँ ही व्यर्थ हो गया हो अथवा हो जाता हो, उसकी बचत न हो पाती हो,
- संचार के आधुनिक तरीकों के प्रयोग से मिलने वाली सहूलियत से ये वंचित हो जाते हों।
- डिजिटल साक्षरता के अभाव में वे बहुत सारी जानकारी और सुविधा से वंचित रह जाते हों।
- फिर चाहे—
 - वह वित्तीय साक्षरता हो, या
 - कानूनी साक्षरता हो या
 - पर्यावरण संबंधी साक्षरता या फिर
 - स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी साक्षरता

साक्षर होना इन सभी स्थितियों को साधने में मदद करता है।

शिक्षार्थियों के जीवन के आस-पास रची गई उल्लास प्रवेशिका शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा और संख्या-ज्ञान की बुनियादी क्षमता का विकास करने और अपने जीवन में पढ़ने-लिखने और गणित का प्रयोग करने का अवसर देती है। यहाँ यह स्पष्ट होना अच्छा होगा कि यहाँ पढ़ने-लिखने का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं है अपितु जीवन में जहाँ-जहाँ भाषा मौजूद है, उसे समझना, अपनी राय बनाना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और समझकर लिखना है।

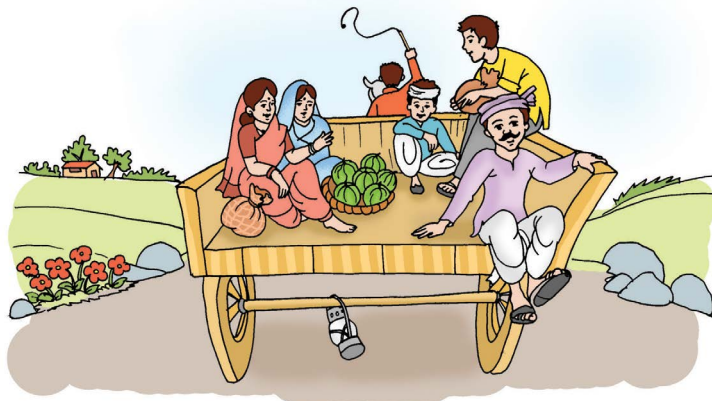
इसी प्रकार गणित की समझ का अर्थ केवल अंकों की पहचान तक परिसीमित नहीं है अपितु गणित की अवधारणाओं की समझ व उनका दैनिक जीवन में प्रयोग भी है।

इन शिक्षार्थियों के अपने-अपने अनुभव हैं और अपनी-अपनी प्राथमिकताएँ भी! उन सभी प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है – भाषा (हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा) और गणित को पढ़ना-लिखना सीखना। इसी प्राथमिकता को केंद्र में रखते हुए –

प्रवेशिका के प्रत्येक पाठ में शिक्षार्थियों के लिए सोचने, अपनी बात कहने, पढ़ने और लिखने के अवसर दिए गए हैं। ये अवसर अन्य और अवसरों को तलाशने, प्रदान करने में मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमताओं और स्तर के अनुरूप पढ़ने-लिखने के अन्य अवसर जुटाए जा सकते हैं। उल्लास प्रवेशिका का एक विशिष्ट बिंदु यह है कि इसमें भाषा/साक्षरता और गणित को एकीकृत रूप में रखा गया है।

हम जानते हैं कि किसी भी विषय को पढ़ने-लिखने या समझने में भाषा माध्यम बनती है। यही स्थिति गणित के साथ भी है। गणित की भी अपनी भाषा होती है और उसे किसी भाषा के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। इस अर्थ में भाषा माध्यम का कार्य करती है। प्रवेशिका में आलोचनात्मक चिंतन के साथ एक संदर्भ विशेष लिया गया

■ राजा का परिवार बैलगाड़ी से जा रहा है। देखिए, गिनिए और लिखिए—



- गाड़ी में कुल कितने व्यक्ति हैं?
- गाड़ी में कितने पुरुष हैं?
- गाड़ी में कितनी महिलाएँ हैं?
- टोकरी में कितने तरबूज हैं?
- गाड़ी में कितने पहिये हैं?
- गाड़ी में कितनी लालटेन हैं?

शिक्षक-निर्देश — सहभागियों से वस्तुओं को गिनकर सही संख्या लिखने का अभ्यास करवाएँ। संख्या पढ़ने और लिखने में सहभागियों की मदद करें। आप चाहें तो आस-पास मौजूद चीजों की गिनती भी करवा सकते हैं।

है और उसके साथ ही हिंदी भाषा पढ़ने-लिखने की गतिविधियाँ प्रारंभ होती हैं। गणित की बुनियादी क्षमताओं को उसी संदर्भ विशेष से जोड़ते हुए सीखने-सिखाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए –

प्रवेशिका में 'राजा का परिवार' का चित्र दिया गया है और शिक्षार्थियों से उसे ध्यान से देखने के लिए कहा गया है। चित्र के अवलोकन के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं, वे संख्या-आधारित हैं। 'गाड़ी में कुल कितने व्यक्ति हैं?/ टोकरी में कुल कितने तरबूज हैं? गाड़ी में कितनी लालटेन हैं?' आदि। शिक्षार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षकों की मदद से हिंदी भाषा में दिए गए इन प्रश्नों को पढ़ना होगा और फिर संख्या में उनके उत्तर देने होंगे। प्रवेशिका के चारों भागों में इसी एकीकृत रूप के अनुसार विषय-वस्तु को संयोजित किया गया है।

उल्लास प्रवेशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आगे विस्तार से दिया गया है। ये बिंदु विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रवेशिका का निर्माण करने के संदर्भ में प्रस्तावित दिशा-निर्देश के रूप में सहायक होंगे। प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए 'उल्लास' प्रवेशिका से उदाहरण भी दिए हैं। ये मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –

- प्रवेशिका के पाठ अंतर्वस्तु/‘थीम’ आधारित हैं। पाठों की विषय-वस्तु 13 अंतर्वस्तु/‘थीम’ के आस-पास बुनी गई है। प्रवेशिका के लिए 15 वर्ष व उससे बड़ी आयु के शिक्षार्थियों के जीवन के अलग-अलग पहलुओं और आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए अलग-अलग अंतर्वस्तु/‘थीम’ तय किए गए हैं। उदाहरण के लिए – परिवार और पढ़ोस, बातचीत, हमारे आस-पास, खान-पान और स्वास्थ्य, मतदान, कानूनी जानकारी, आपदा प्रबंधन, समय, यात्रा, मनोरंजन, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि।

विषय-सूची		विषय-सूची	
आमुख	iii	आमुख	iii
प्रस्तावना	v	प्रस्तावना	v
स्वयंसेवी शिक्षकों से दो बातें	vii	स्वयंसेवी शिक्षकों से दो बातें	vii
निर्माण-समिति	xi	निर्माण-समिति	xi
आभार	xiii	आभार	xiii
1. परिवार और पढ़ोस	1-23	11. मनोरंजन	248-267
• अ, आ, न, प, स, र, व • अनवरी का परिवार • 1 से 9 तक की संख्याएँ पहचानना, पढ़ना और लिखना • आओ बादल		• मुफ्त ही मुफ्त • आकृतियों की समझ बनाना (वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला इत्यादि) • आकृतियों और संख्याओं के पैटर्न की समझ बनाना • 'ददरिया' लोकगीत • जादुई लालटेन	
2. बातचीत	24-53	12. वित्तीय साक्षरता	268-287
• इ, ई, ब, त, म, ख, ट, च • स्कूल को चिढ़ी • 10 से 20 तक की संख्याएँ पहचानना, पढ़ना और लिखना • 20 तक की संख्याओं का जोड़ और घटा करना • अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा		• मेरा खाता मेरी शान • बैंक खाता खुलवाने संबंधित जानकारी का उपयोग करना • बैंक संबंधित फॉर्म पढ़ना, समझना और भरना (चैक, जमा पर्ची, नकद निकासी पर्ची) • दान का हिसाब	
3. हमारा रहन-सहन	54-86	13. डिजिटल साक्षरता	288-306
• ओ, औ, झ, द, ल, ग, क, य • दीवाली के दीये • 21 से 50 तक की संख्याएँ पहचानना, पढ़ना और लिखना • इकाई और दहाई समूहों में गिनना • 50 तक की संख्याओं का जोड़ और घटा करना • कहानियाँ		• अब राह हुई आसान • डिजिटल अंकों की पहचान एवं लिखना • चित्र में प्रदर्शित आँकड़ों की समझ • मोबाइल फ़ोन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या हल करना। • मोबाइल की दुनिया	

- प्रवेशिका की विषय-सामग्री का निर्धारण करते समय शिक्षार्थियों के सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया है। यह बिंदु इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भाषा और गणित की जिन बुनियादी कुशलताओं को सीखने-सिखाने की बात कर रहे हैं, वे अंततः किसी समाज-संस्कृति विशेष में ही उपयोग में आएँगी। इसका अर्थ यह है कि भाषा और गणितीय अवधारणाओं का विकास और प्रयोग समाज से ही जुड़ा है। अतः शिक्षार्थियों से जुड़ी किसी भी संसाधन सामग्री के निर्माण में उनके सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को केंद्र में रखना होगा।
- यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इन शिक्षार्थियों का आयु वर्ग अपेक्षाकृत बड़ा है और इनके पास जीवन का समृद्ध अनुभव है, इस कारण से पाठों के परिप्रेक्ष्य में मौखिक चर्चा का स्तर भी उच्च है। साथ ही, महत्वपूर्ण जीवन कौशलों को पाठों की विषय-वस्तु में समाहित किया गया है। प्रवेशिका में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे – पाठ 13 ‘डिजिटल साक्षरता’ में एक कहानी है – ‘मोबाइल की दुनिया’। इस पाठ में मोबाइल से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है और उससे संबंधित प्रश्नों में मोबाइल के सुरक्षित उपयोग को स्थान दिया गया है –
 - किसी ऐसे अनुभव के बारे में बताइए जब आपको मोबाइल के कारण किसी काम में सुविधा हुई हो।
 - आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल किस-किस काम के लिए करते हैं?
 - मोबाइल का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं?

सप्ताह 11

हेल्पलाइन नंबर : 1930



आप जो कुछ भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उन सभी पर विश्वास न करें।

शिकायत हेतु : <https://cybercrime.gov.in>

विद्यालयी प्रणाली हेतु दिशानिर्देश : <https://ciet.nic.in/pages.php?id=book-let-on-cyber-safetysecurity&ln=en&ln=en>

सप्ताह 20

हेल्पलाइन नंबर : 1930

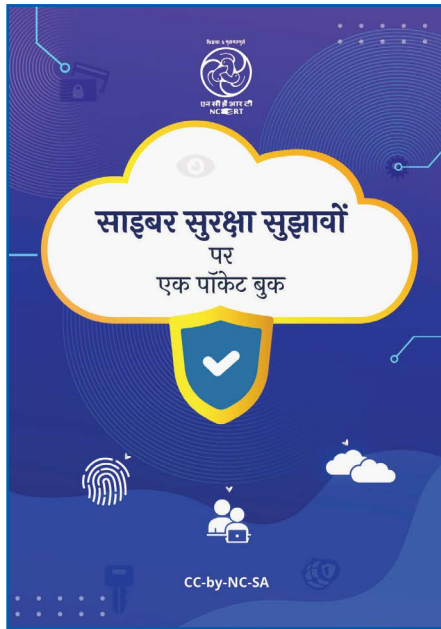


अगर आप किसी साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, तो तुरंत रिपोर्ट करें।

शिकायत हेतु : <https://cybercrime.gov.in>

विद्यालयी प्रणाली हेतु दिशानिर्देश : <https://ciet.nic.in/pages.php?id=book-let-on-cyber-safetysecurity&ln=en&ln=en>

उल्लास – भाग 4, पाठ 13, पृष्ठ 303



उल्लास – भाग 4, पाठ 13, पृष्ठ 303

इसी प्रकार पाठ 7 'कानूनी जानकारी' में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर) के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है और उसी से संबंधित शिक्षार्थियों के अनुभव और चिंतन को आमंत्रित किया गया है कि जैसी–

- क्या आपने कभी एफ़आईआर दर्ज करवाई है?
- आपके घर से सबसे नज़दीकी पुलिस थाना कौन-सा है?
- आवश्यकता पड़ने पर आप पुलिस की मदद किस टेलीफ़ोन नंबर पर ले सकते हैं?
- महिला सुरक्षा के लिए किस नंबर पर संपर्क किया जाता है?

■ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़.आई.आर.)

पुलिस एफ़.आई.आर. दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि अपराध की सूचना मिलने पर नज़दीकी थाने में फ़ौरन एफ़.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक, लिखित या किसी भी रूप में मिल सकती है। एफ़.आई.आर. में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान को दर्ज किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों के नाम को भी शामिल किया जाता है। एफ़.आई.आर. में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफ़.आई.आर. के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफ़.आई.आर. की एक नकल कॉपी मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है।

(सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-III, एन.सी.ई.आर.टी.)

उल्लास – भाग 2, पाठ 7, पृष्ठ 185

3002 9563
KARNATAKA STATE POLICE
FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 154 Cr.P.C.

Page 1 of 4

1. Station Name: MADIVALA
PS: MADIVALA SUB
City: BANGALORE CITY
District: Bangalore
Date: Mar-2005

2. (i) For Section: 323,324,341,342,447,506B, 114
(ii) For Sections: Indian Penal Code, 1860
(iii) Other Sections and Acts: 323,324,341,342,447,506B

3. (a) Occurrence of Offence: WE
(b) Date: Feb-2005
(c) Time: 05:00 PM
(d) Information received at the PS: 103/2005 9:00:00 AM
(e) Reasons for delay in reporting to the Complainant/Informant: 09:30 AM
(f) General Diary reference Entry No. & Time: 09:30 AM

4. (a) Place of Occurrence With full address: BANGALORE CITY 560075
(b) Distance from PS: 1.5 KM TO SOUTH WEST
(c) If the place belongs to another jurisdiction, Name of the PS: 103/2005 9:00:00 AM

5. Complainant/Informant:
(a) Name: SRI
(b) Address: BANGALORE CITY 560075

6. Complainant / information:
(a) Name: SRI
(b) Father's / Husband's Name: SRI
(c) Date / Year of Birth: 11-2004
(d) Nationality: Indian
(e) Passport No.:
(f) Date of Issue: 11-2004
(g) Place of Issue: Bangalore
(h) Occupation: Teacher

7. Details of known / suspected / unknown / accused with full particulars (Attach separate sheet if necessary):

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary):

उल्लास – भाग 2, पाठ 7, पृष्ठ 185

पाठ 8 'मुसीबतें कैसी-कैसी' के निम्नलिखित प्रश्न भी देखे जा सकते हैं –

- सोचिए, अगर आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या आपके घर को भी खतरा होगा? यदि हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे?
- क्या आपने अपने जीवन में सूखा, भूकंप, बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? यदि हाँ, तो अपना अनुभव साझा कीजिए।
- क्या आपको लगता है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए मनुष्य सीधे रूप से उत्तरदायी है। ऐसी किसी एक आपदा के बारे में साथियों के साथ बातचीत कीजिए और बातचीत में आए मुख्य बिंदुओं को लिखिए।

■ मिलकर पढ़िए

जब धरती काँपी

मेरा नाम जस्मा है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहती हूँ। बात तब की है जब मैं ग्यारह साल की थी। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सब लोग घबरा गए। कुछ ही समय में हमारा पूरा गाँव मलबे का ढेर बन गया। हमारे कपड़े, बर्तन, खाना— सब कुछ मलबे में दब गया।



बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगीं। डॉक्टरों की टीम ने गाँव वालों की मदद की। उनकी मदद से लोग ठीक होने लगे।

ठंड का महीना था। इतनी ठंड में घर के बाहर रहना कठिन हो रहा था। ठंड और डर के मारे नींद नहीं आती थी। यही डर रहता कि कहीं फिर से भूकंप आ गया तो?



उल्लास – भाग 3, पाठ 8, पृष्ठ 200-201

- शिक्षार्थियों के सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना और प्रवेशिका की पाठ्य सामग्री को संदर्भगत बनाने का अर्थ यह भी है कि भले ही हम स्वास्थ्य, यात्रा, आपदा प्रबंधन आदि अंतर्वस्तु/‘थीम’ को शामिल कर रहे हैं लेकिन इन तीनों की विषय-सामग्री राज्यों के संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में ‘यात्रा’ अंतर्वस्तु के संदर्भ में ऊँट, ऊँटगाड़ी, रेगिस्तान आदि का उल्लेख होगा लेकिन केरल में इसी ‘यात्रा’ अंतर्वस्तु के संदर्भ में नदी, नाव, मल्लाह, चप्पू आदि का उल्लेख होगा। जबकि दिल्ली, बेंगलूर, कोलकाता आदि शहरों के संदर्भ में ‘मेट्रो’ का भी उल्लेख हो सकता है। इसी तरह ‘आपदा प्रबंधन’

अंतर्वस्तु के संदर्भ में उन राज्यों की विषय-सामग्री में भेद हो सकता है, जहाँ भूकंप अधिक आता है या बाढ़ अधिक आती है। इसी तरह 'परिवार' अंतर्वस्तु के संदर्भ में परिवार के सदस्यों के क्रियाकलापों में भी भेद हो सकता है। दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में घर के द्वार पर सुबह-सुबह चावल के आटे या हल्दी आदि से रंगोली बनाने का उल्लेख हो सकता है। खान-पान में भी कहवा (कश्मीर), मक्के की रोटी और साग (पंजाब), लिट्टी-चोखा (बिहार) आदि का भेद हो सकता है। वेश-भूषा आदि में भी यह भेद दृष्टिगत हो सकता है – फिरन (कश्मीर), सलवार-कुर्ता (पंजाब), पुरुषों की धोती (दक्षिण भारत), मेखला (पूर्वोत्तर भारत) आदि।

- प्रवेशिका के सभी चारों भागों में साक्षरता/हिंदी भाषा और संख्या-ज्ञान को एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब हम गणित सीखते हैं तो किसी भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं और

प्रश्न 6. अपने वोटर कार्ड को देखकर उसमें दी गई जानकारी की सूची बनाइए-

क्र.सं.	जानकारी
1.	मतदाता का नाम
2.	
3.	लिंग
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

मतदान पहचान पत्र भारत के सभी नागरिकों जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक है, उनके लिए जारी किया जाता है। पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है।

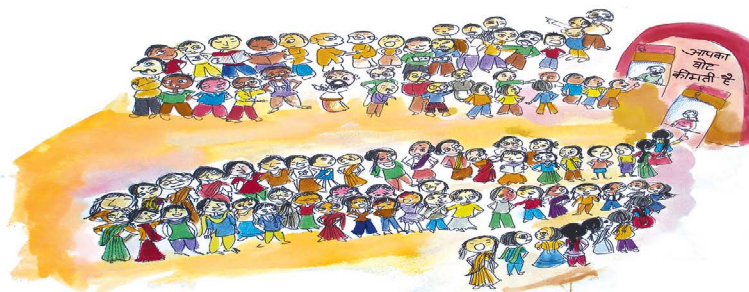
चर्चा कीजिए-

- वोट देना क्यों ज़रूरी है?
- लोकतंत्र किसे कहते हैं?
- आप कब-कब वोट देते हैं?
- वोट देने से पहले आप क्या-क्या सोचते हैं और क्यों?

शिक्षक-निर्देश—सहभागियों से मतदान और उससे जुड़ी आवश्यक बातों पर चर्चा करें। वोट के अधिकार विशेष और उसके सही प्रयोग पर बल दें।

भाषा के व्यवहार या प्रयोग में गणितीय अवधारणाएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी राशन की दुकान से राशन खरीदते हैं तो आटा, दाल, चावल, साबुन आदि के नाम पढ़ते हैं, उसकी दर दुकानदार से पूछते हैं या दर-सूची को भी पढ़ते हैं और फिर खरीदे गए सामान की दर और मात्रा के अनुसार यह भी निर्धारित करते हैं कि दुकानदार को कितने रुपए-पैसे देने हैं। अगर सामान 1570 रुपए का आया है और हमने दुकानदार को 2000 रुपए का नोट दिया है तो जो रुपए-पैसे दुकानदार से वापस मिलते हैं, उसका हिसाब-किताब भी रखना है। बिल को पढ़ना भी है कि दुकानदार ने सही-सही हिसाब लगाया है या नहीं और उसने 430 रुपए वापस दिए हैं न! इस पूरी प्रक्रिया में भाषा और गणित साथ-साथ और एकीकृत रूप से चलते हैं।
गणित में भाषा और भाषा में गणित!

चुनाव में मतदान के पश्चात् वोटों की गिनती की जाती है जिसे मतगणना कहते हैं। सबसे अधिक वोट मिलने वाले को विजयी घोषित किया जाता है।



एक मतदान से संबंधित सूचना दर्शाई गई है-

लक्ष्मी	– 200 वोट
विजय	– 124 वोट
झुमरी	– 176 वोट
डाले गए कुल वोट	– 500

ऊपर दी गई सूचना को समझकर बताइए-

- किससे सबसे अधिक वोट मिले हैं? _____
- सबसे कम वोट किससे मिले हैं? _____
- चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन है? _____
- चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार हैं? _____

शिक्षक-निर्देश— सहभागियों को प्रोत्साहित करें कि वे विभिन्न संदर्भों में तीन अंकों में तुलना कर सकें तथा जोड़-घटाव करने के विविध तरीके खोजें और साथ ही दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।

- प्रवेशिका में हिंदी और गणित सीखने की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। एक ही पाठ की विषय-वस्तु के संदर्भ को केंद्र में रखते हुए हिंदी भाषा और गणित को साथ-साथ रखा गया है। उदाहरण के लिए 'मतदान' (पाठ 6) में भाषा संबंधी अभ्यास के अंतर्गत मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई है, वोट की महत्ता को दर्शाते पोस्टर्स पर बातचीत की गई है। शिक्षार्थियों को यह अवसर दिया गया है कि वे अपने वोटर कार्ड पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में बताएँ। साथ ही आलोचनात्मक विश्लेषण के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया/टिप्पणी दे सकें –

- वोट देना क्यों ज़रूरी है?
- लोकतंत्र किसे कहते हैं?
- आप कब-कब वोट देते हैं?
- वोट देने से पहले आप क्या-क्या सोचते हैं और क्यों?

इसके उपरांत 'आँकड़ों को पढ़ने और समझने' (data handling) का अभ्यास दिया गया है। इसमें मतदान से संबंधित सूचना को दर्शाते हुए यह पूछा गया है –

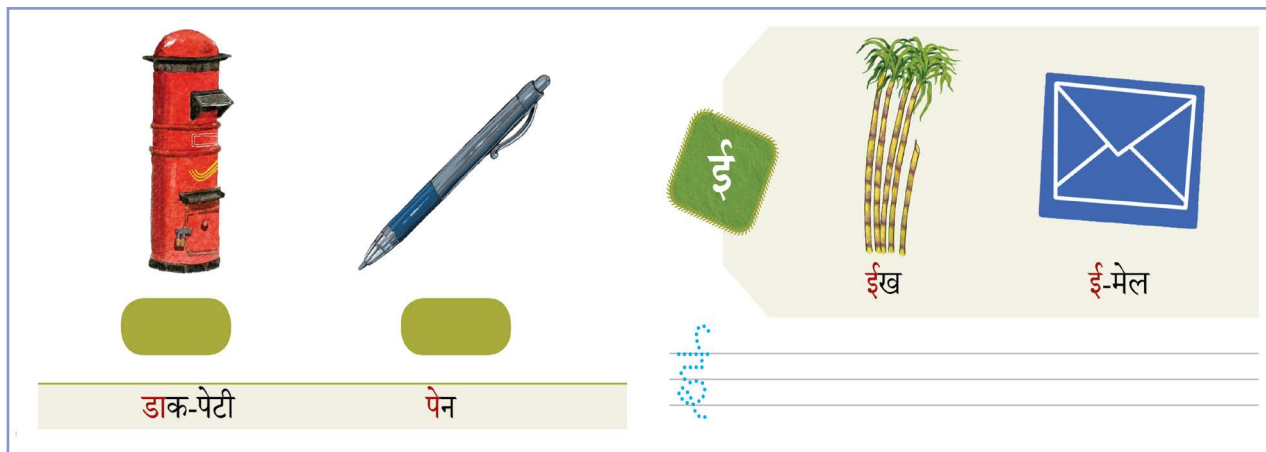
- किसे सबसे अधिक वोट मिले हैं?
- सबसे कम वोट किसे मिले हैं?
- चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन है?
- चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार हैं?

इस तरह से भाषा और गणित संबंधी अभ्यास एक ही संदर्भ से जुड़े हुए हैं।

- अधिकतर पाठों का प्रारंभ पोस्टरनुमा एक बड़े चित्र से किया गया है। उदाहरणतः, 'परिवार और पड़ोस', 'हमारा रहन-सहन' आदि के पोस्टरनुमा चित्रों पर बातचीत करने से शिक्षार्थी उस थीम से संज्ञानात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। चित्रों पर बातचीत से शिक्षार्थियों के समृद्ध अनुभव, उनके विचार, प्रतिक्रिया, टिप्पणी आदि को भी सम्मान और स्थान मिलता है। जैसे हमारे परिवेश में दीवारों पर, होर्डिंग आदि पर कुछ न कुछ लिखा हुआ मिलता है, उसी प्रकार उनके इन चित्रों में भी शिक्षार्थियों को जगह-जगह कुछ लिखा हुआ मिलेगा। चित्रों पर बातचीत करते हुए इन शब्दों-वाक्यों पर भी बातचीत की जा सकेगी। यह बातचीत शिक्षार्थियों के पढ़ने-लिखने के कौशलों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

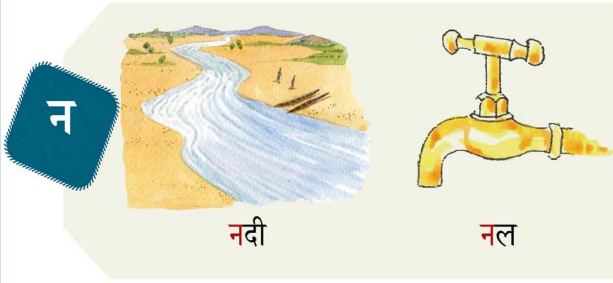


उल्लास – भाग 1, पाठ 1, पृष्ठ 2-3

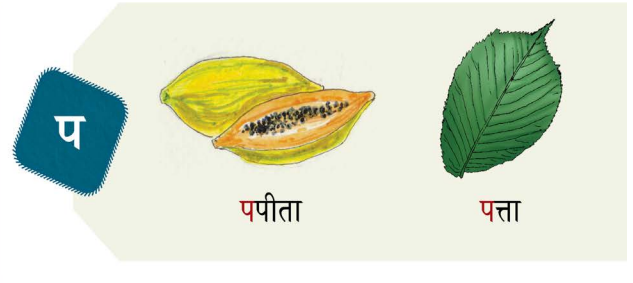


उल्लास – भाग 1, पाठ 2, पृष्ठ 28-29

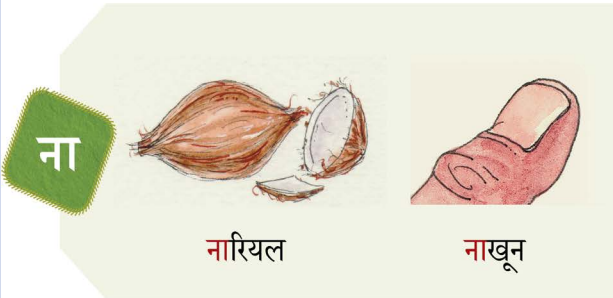
- प्रवेशिका में जहाँ तक संभव हो सके, आसान और आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि इसका उपयोग करने वाले स्वयंसेवकों और शिक्षार्थियों, दोनों को आसानी हो।
- प्रवेशिका में प्रस्तुत सामग्री को पर्याप्त रूप से बड़े आकार में दिया गया है ताकि शिक्षार्थियों को देखने-पढ़ने में छोटे आकार के कारण कठिनाई न हो और उनकी आँखों पर जोर न पड़े।
- प्रवेशिका को रंगों, चित्रों और रोचक विषय-वस्तु द्वारा आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है ताकि शिक्षार्थी पढ़ने-लिखने में रुचि लें और पढ़ना-लिखना सीखने की प्रक्रिया उनके लिए उत्साहजनक और सरस बन सके।
- प्रवेशिका में हिंदी भाषा के अक्षरों या वर्णों को वर्णमाला के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि किसी भी भाषा के दो बुनियादी कौशल (सुनना और बोलना) में हम बातचीत करते हैं और बातचीत में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे वर्णक्रम के अनुसार नहीं होते, जैसे— अगर माँ और छोटे बच्चे के बीच बातचीत हो रही है तो माँ बच्चे के साथ पूरी बात कहती है – आज तो मेरी बिटिया बहुत जल्दी उठ गई! आज हम सब घूमने जाएँगे! जाओ, दादी जी को बुला लाओ! आज शाम मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगी और फिर तुम्हारे साथ खेलूँगी आदि। इसी तरह से बड़े भी अपने-अपने संदर्भों में और आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए बातचीत करते हैं और उस बात में पूरी बात कही जाती है जिससे अर्थ संप्रेषित होता है। बातचीत में कहीं भी शब्दों में आए अक्षर भाषायी वर्णक्रम में नहीं होते। इसी लिए प्रवेशिका में भी संदर्भों के अनुसार जो विषय के आस-पास बातचीत हो रही है, उसमें सहज रूप से आए वाक्य, उन वाक्यों में आए शब्द और उन शब्दों में आए अक्षर/मात्रा के अनुसार अक्षरों तथा मात्राओं का क्रम निर्धारित किया गया है।
- एक पाठ की सार्थक सामग्री या चित्र में जिन शब्दों की गुंजाइश है, उन शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों/वर्णों को लिया गया है। प्रवेशिका का पहला पाठ 'परिवार और पड़ोस' थीम पर आधारित है और इसमें दिए गए विस्तृत चित्र के आस-पास जिस तरह की बातचीत संभव है, उसमें आए शब्दों और शब्दों में आए अक्षर अ, आ, न, प, स, र, व को इस पहले पाठ में स्थान दिया गया है। पाठ की विषय-सामग्री में सहज एवं स्वाभाविक रूप से आने वाले शब्दों और अक्षरों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है।



न न



प प



ना ना



पा पा

उल्लास – भाग 1, पाठ 1, पृष्ठ 8-9

- हिंदी भाषा के स्वरों के अक्षर और मात्रा-चिह्न एक साथ ही रखे गए हैं। प्रवेशिका के पहले पाठ में 'आ' और उसकी मात्रा तथा दूसरे पाठ 'बातचीत' में इ, ई, ब, त, म, ख, ट, च और उनकी मात्राओं को सिखाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए पहले पाठ में 'आदमी, आम, आरी, नदी, नाव, सड़क, सात' और दूसरे पाठ में 'इमली, ई-मेल, बिल, बीस, तितली, तीन' आदि शब्द दिए गए हैं। यह बिंदु ध्यान में रखना होगा कि हिंदी जैसी भाषाओं में स्वर अपने मूल रूप में और चिह्न के रूप में यानी मात्रा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यह संभव है कि अनेक क्षेत्रीय भाषाएँ ऐसी हों जिनमें स्वर अंग्रेजी भाषा की तरह केवल अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा के ये शब्द देख सकते हैं – pin/college/ car (पिन/कॉलेज/ कार)। जब हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को रोमन लिपि में लिखते हैं तो स्वर (a, e, i, o, u) अपने मूल रूप में ही लिखे गए हैं जबकि उन्हीं शब्दों को जब हम हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो स्वरों के मूल रूप के बजाय उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। हमें क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और उसी के अनुसार प्रवेशिका का निर्माण करना होगा। इसी तरह से देवनागरी लिपि में अक्षरों/शब्दों के ऊपर शिरोरेखा (लाइन) का प्रयोग किया जाता है जो हिंदी भाषा के लेखन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन यह संभव है कि कुछ भाषाओं की लिपि में यह शिरोरेखा (लाइन) प्रयुक्त न होती हो, जैसे – तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम आदि भाषाओं की लिपि। प्रवेशिका में लेखन के कौशल में इस बिंदु को ध्यान में रखना अपेक्षित है।

■ पढ़िए और लिखिए



अ अ

आ आ

शिक्षक-निर्देश — सहभागियों से बारी-बारी चित्र की पहचान करवाएँ। चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अँगुली रखकर पढ़वाएँ और सहभागियों से अक्षर लिखवाएँ। 'अ' और 'आ' की आवाज़ और आकृति के अंतर को भी समझाएँ। इसी तरह बाकी अक्षरों को पढ़वाने और लिखवाने का काम करें।

उल्लास – भाग 1, पाठ 1, पृष्ठ 7



स स

सा सा

उल्लास – भाग 1, पाठ 1, पृष्ठ 10



ब

बि

बा

बी

शिक्षक-निर्देश — चित्र देखकर शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें, उनसे अक्षर लिखवाएँ। दी गई जगह में चित्र का नाम लिखवाएँ।

उल्लास – भाग 1, पाठ 2, पृष्ठ 30-31

लाजू को बैंक से ₹2000 निकालने हैं। पैसे निकालने की पर्ची भरने में लाजू की मदद कीजिए

पैसे निकालने की पर्ची

खाताधारक का (के) नाम / Name of the Account Holder(s).....		बचत बैंक आहरण फार्म SAVINGS BANK WITHDRAWAL FORM		दिनांक Date
भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA		शाखा / BRANCH		खाता संख्या ACCOUNT NUMBER
नोट : यह फार्म चेक नहीं है। इस फार्म के साथ पासबुक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भुगतान के लिए इनकार किया जाएगा। यह भुगतान केवल मूल (होम) शाखा में ही किया जाएगा। NOTE : This form is not a Cheque. Payment will be refused if the pass book is not produced with this form. This payment will be made only at the Home Branch.				
कृपया मुझे / हमें Please pay self/ourselves ₹..... (₹.....)		मात्र/only		
का भुगतान करें और मेरे / हमारे उपर्युक्त बचत/बैंक खाते को यह राशि नामे करें। / and debit the amount to my/our above savings bank account.				
फोन/मोबाइल नं./Phone/Mobile No.				
खाताधारक (को) के हस्ताक्षर Signature(s) of the Account Holder(s)				
कार्यालय उपयोग हेतु/FOR OFFICE USE				
पासकर्ता/Passed by	हस्ताक्षर/Signature	पासकर्ता/Passed by	हस्ताक्षर/Signature	
एसडब्ल्यूओ/SWO		पासकर्ता अधिकारी/PASSING OFFICER		

उल्लास – भाग 4, पाठ 12, पृष्ठ 276

- किसी अक्षर की ध्वनि और आकृति की पहचान करवाने के लिए अंतर्वस्तु/‘थीम’के इर्द-गिर्द दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले शब्दों, वस्तुओं के नामों, गिनती, दिनों के नामों आदि का प्रयोग किया गया है। इन नामों में वे ध्वनियाँ शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में आ रही हैं। इस प्रकार के उदाहरण लेना महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षार्थी यह देख सकें कि शब्द में विभिन्न स्थानों पर किसी अक्षर के आने से शब्द के उच्चारण और रूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही, वे किसी अक्षर की ध्वनि को किसी शब्द-विशेष से ही जोड़कर देखने की प्रवृत्ति विकसित न कर लें। उदाहरण के लिए, ‘ब’ से केवल ‘बकरी’ न समझने लगें। इसीलिए बातचीत, अखबार, मोबाइल जैसे शब्द दिए गए हैं।
- शिक्षार्थियों को लिखने में संकोच और कठिनाई हो सकती है लेकिन उन्हें विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से यह आत्मविश्वास दिलाना होगा कि जो बात हम कहते हैं उसे कुछ चिह्नों के माध्यम से लिखा जा सकता है। हमारे बोलने और लिखने की भाषा में अंतर नहीं होता।
- प्रवेशिका में अक्षरों की आकृति बनाना सीखने के लिए उन्हें बिंदुओं के रूप में भी दिया गया है। इससे शिक्षार्थियों को आत्मविश्वासपूर्वक अक्षरों की पठनीय आकृति बनाने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए पाठ 1 में ‘स’ और ‘सा’ को देखा जा सकता है।



उल्लास – भाग 1, पाठ 1, पृष्ठ 10

- यह बात समझना आवश्यक है कि शिक्षार्थी अपने आस-पास की चीजों को पहचानते हैं, उनके नाम जानते हैं, चीजों के नाम बोलते हैं और दैनिक जीवन में अनेक तरह के शब्द कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि बिना मात्रा वाले या मात्रा वाले शब्दों को वे एक क्रम से नहीं बोलते बल्कि चीजों, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के बारे में अर्थपूर्ण बातचीत करते हैं। उनकी इसी कुशलता का प्रयोग लेखन कार्य में किया जा सकता है और एक अक्षर में उन सभी मात्राओं का प्रयोग करने के अवसर दिए जा सकते हैं जो उन्होंने पहले पाठों में सीखी हैं। उदाहरण के लिए पाठ 3 में 'ग', 'गा', 'गि' 'गी' आदि से बनने वाले शब्दों को पढ़ना और इन अक्षरों को लिखना। इससे एक लाभ यह होगा कि शिक्षार्थियों को सीखी गई मात्राओं को दोहराने के अवसर मिलेंगे और साथ ही वे दो स्वरों में अंतर करने की कुशलता भी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे – गधा, गमछा/गागर, गाय/गिलहरी, गिरगिट/गीला, गीत/गोभी, गोबर/गौरैया, गौशाला। प्रवेशिका में इस तरह के लेखन संबंधी अभ्यास पर्याप्त मात्रा में देने से ही शिक्षार्थियों को लिखने के अवसर मिल सकेंगे।



उल्लास – भाग 1, पाठ 3, पृष्ठ 69



उल्लास – भाग 1, पाठ 3, पृष्ठ 70

- लेखन के अभ्यासों में अक्षर लिखने से आगे बढ़ते हुए शब्द में एक अक्षर विशेष की पहचान के बाद उस शब्द को लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। इस तरह से पढ़ना और लिखना साथ-साथ होता है। प्रवेशिका में ऐसे अवसर बहुतायत में देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पाठ 1 में 'देखिए, पढ़िए और लिखिए' अभ्यास के अंतर्गत अलग-अलग शब्दों में अ, आ, व, वा, आदि अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानकर उन्हें लिखना है। गणित में भी लिखने का अभ्यास साथ-साथ चलना चाहिए, जैसे पाठ 1 में ही मोबाइल में अंकों

को पहचानना है, बिंदुओं में दिए गए अंकों को लिखना है और फिर अलग से दिए गए स्थान पर अंकों को लिखना है।

- लेखन के अगले स्तर पर चित्रों को देखकर, पहचानकर उनके नाम लिखने का अभ्यास शिक्षार्थियों की लेखन कुशलता में सहायक होगा। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षार्थी चीजों, व्यक्तियों आदि को पहचानते हैं और उनके पूरे नाम लेते हैं। उनकी इसी कुशलता के माध्यम से चित्रों के नाम लिखने के अवसर और अभ्यास दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पाठ 7 में 'चित्र देखिए और शब्द लिखिए' अभ्यास में शिक्षार्थियों को '17' और 'स्त्री' / 'त्रिकोण' और 'रावण' शब्द लिखने के लिए कहा गया है।
- अधिकतर पाठों के अंत में 'मेरे शब्द' लिखने के लिए स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थी यहाँ अपने मन से ऐसे शब्द स्वयंसेवी शिक्षक की मदद से, देखकर या बिना देखे लिखेंगे जो उन्होंने उस पाठ से सीखे हैं।

■ मेरे शब्द

शिक्षक-निर्देश— 'खान-पान और सेहत' विषय पर बातचीत कीजिए। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े 3-4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे— 'हैडपंप' के लिए 'चापाकल' आदि।

उल्लास – भाग 2, पाठ 5, पृष्ठ 142

■ ध्यान से देखिए, पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए



■ मेरे शब्द

शिक्षक-निर्देश— 'मतदान' विषय पर बातचीत कीजिए। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े 3-4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे— 'वोट देना' के लिए 'वोट पड़ना' आदि।

उल्लास – भाग 2, पाठ 6, पृष्ठ 168

- लिखने के अभ्यासों में शिक्षार्थियों की सृजनात्मक लेखन की कुशलता को भी पोषित करने की आवश्यकता है। वे जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जिस भाषा में सोचते हैं, वैसा लिखने के अवसर देना अपेक्षित होगा। उदाहरण के लिए पाठ 7 में ही 'चित्र देखकर खाली जगह पर स्वयं की कहानी बनाइए और लिखिए' अभ्यास में कहानी एक सिरे से शुरू होती है और शिक्षार्थियों को अपने मन से कहानी लिखनी है। दिए गए चित्रों को देखकर स्वयं कहानी बनाने से सृजनात्मक सोच को आगे बढ़ाने और सृजनात्मक लेखन के अवसर प्राप्त होंगे।
- लिखने की कुशलता का अभ्यास कराने के लिए शब्दों से वाक्य-निर्माण और लिखित रूप में अपनी बात कहने के अवसर जुटाने की आवश्यकता होती है। इस तरह के अभ्यास 'उल्लास' के पाठ 9 में दिए गए हैं – शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए (समय, ज़माना, काल, युग, दिन आदि)।/ आप कौन-से काम समय पर कर पाते हैं और कौन-से नहीं? आदि।
- प्रवेशिका में लेखन के ऐसे अभ्यास देने की आवश्यकता है जिसमें उन्हें मुहावरों का प्रयोग करने के अवसर मिल सकें और वाक्य-प्रयोग के लिए सही शब्द का चयन करते हुए लिख सकें। अपने अनुभवों को लिखने के अवसर भी दिए जाने चाहिए ताकि लिखना शिक्षार्थियों के लिए रुचिकर बन सके। उदाहरण के लिए पाठ 1 के लेखन संबंधी ये अभ्यास –

■ कविता में से नीचे दिए अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए—

आ.....

प.....

न.....

पा.....

■ चित्र देखकर खाली स्थान भरिए—

1. सा.....स



2. वान.....



3. अ.....र



4. व.....



5. म



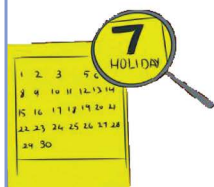
6. ल



शिक्षक-निर्देश — सहभागियों के साथ मिलकर कविता में अक्षरों और शब्दों की पहचान कराएँ। अक्षर और शब्दों को लिखने में सहभागियों की मदद करें। कविता को गाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

- प्रत्येक पाठ में शिक्षार्थियों के पढ़ने के लिए अतिरिक्त सामग्री भी दी गई है जिन्हें वे प्रारंभ में स्वयंसेवी शिक्षक की मदद से पढ़ेंगे, स्वयं अनुमान लगाकर पढ़ेंगे। अपेक्षा यह है कि बाद में वे इस सामग्री को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकेंगे।
- प्रवेशिका में दी गई विषय-सामग्री को शिक्षार्थी कभी भी पढ़ सकते हैं, मदद के साथ भी और स्वतंत्र रूप से भी। पाठों को क्रम से आगे पढ़ते, सीखते हुए शिक्षार्थी के पास यह स्वतंत्रता रहती है कि जब वे पढ़ने का आत्मविश्वास महसूस करें तो स्वतंत्र रूप से या बिना किसी की मदद से पाठों या विषय सामग्री को पढ़ लें। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थी पहले पाठ 'परिवार और पड़ोस' में अतिरिक्त पठन के लिए दी गई कविता 'आओ बादल' को बाद में भी स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, जो 'आ, बा, पा, ल, झ, ज, छा' आदि अक्षरों पर आधारित है जबकि आगे के पाठों में 'ल, झ, ज, छा' आदि अक्षर लिए गए हैं।
- चूँकि हमारे शिक्षार्थियों के पास जीवन के विस्तृत अनुभव हैं और उनकी समझ अधिक विकसित है, अतः प्रवेशिका में केवल अक्षर-मात्रा पर केंद्रित न रहकर उनके स्तर और रुचि के अनुरूप समृद्ध पठन सामग्री का

■ वोट देने की तैयारी



मतदान के दिन छुट्टी दी जाती है तो आपको काम पर जाने की भागदौड़ नहीं करनी है।

अपना नाम मतदाता सूची में देख लें। यह आप चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।



घर से निकलते समय अपना मतदाता पहचान-पत्र (वोटर कार्ड) ले जाना न भूलें। पर मोबाइल, कैमरा आदि न लेकर जाएँ। मतदान केंद्र में ये चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है।



मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े हों। आप ज़रूर चाहेंगे कि अगर किसी के लिए कतार में खड़े रहना मुश्किल है तो आप उन्हें वोट पहले डालने दें।

स्रोत— <http://ecisveep.nic.in/gallery/image/1349-general-voters-guide/?context=new>

उपयोग किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि शिक्षार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन को प्रखर किया जा सके। वे पाठ में आए हर चित्र, शब्द, पाठ्य-वस्तु को समझते हुए उसे अपने अनुभवों से जोड़कर उस पर मनन कर सकें, अपनी राय दे सकें और अपनी राय के बारे में तर्क दे सकें। यह आलोचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों को जीवन की सभी स्थितियों को बेहतर तरीके से समझने में सहायक होगा ताकि वे संदर्भ के अनुसार उचित निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए, पाठ 6 'मतदान' में उससे जुड़े शब्दों की गहराई को समझ सकें, जैसे – मतदान, मतदान सूची, पहचान-पत्र, चुनावी स्याही, ई.वी.एम. मशीन, उम्मीदवार आदि। मतदान अपने आप में एक छोटा-सा शब्द है लेकिन इसी मतदान से लोकतंत्र का स्वरूप निर्धारित होता है – किस उम्मीदवार को चुना जाए? कोई हमारे पहचान-पत्र का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा? सरकार कैसी बनेगी? जनता के प्रतिनिधि के रूप में कैसे लोग चुने जाएँ? क्या वे जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में ठोस कदम उठाएँगे? क्या वे अपने वादों को पूरा करेंगे? ऐसे अनेक सवाल 'मतदान' जैसे शब्द से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र को बनाए रखने में इसी मतदान का सबसे बड़ा योगदान है जिसके लिए सोच-विचार, आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। मतदाता का उचित निर्णय ही उत्कृष्ट लोकतंत्र की नींव रखता है।

प्रवेशिका में इसी प्रकार के विषयों और संदर्भों द्वारा शिक्षार्थियों के जीवन-कौशलों के विकास का प्रयास किया गया है।

- पुनरावृत्ति और अभ्यास द्वारा प्रयास किया गया है कि समय के साथ-साथ शिक्षार्थियों के मौखिक और लिखित शब्द भंडार में वृद्धि होती रहे। एक संदर्भ विशेष और उससे इतर संदर्भ – दोनों संदर्भों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें उन संदर्भों में समझना, पढ़कर समझने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। हालाँकि एक प्रवेशिका या एक पुस्तक की अपनी सीमाएँ होती हैं कि हम वहीं 'बहुत कुछ' नहीं दे सकते। लेकिन उसके लिए दिशा-निर्देश दे सकते हैं, एक-दो उदाहरण दे सकते हैं जिससे शिक्षार्थी और स्वयंसेवी शिक्षक उस प्रक्रिया को स्वयं आगे बढ़ा सकें।

उदाहरण के लिए पाठ 1 'परिवार और पड़ोस' में पाँच अन्य अक्षरों (व्यंजन) के साथ 'आ' और उसकी मात्रा के प्रयोग को लिया गया है तो पाठ 2 'बातचीत' में छह अन्य अक्षरों (व्यंजन) के साथ 'इ'/'ई' को लिया गया है। पाठ 2 में नए अक्षरों (ब, त, म, ख, ट, च) के साथ तीनों मात्राओं के प्रयोग को सीखने के अवसर दिए गए हैं – 'बफ़्फ़ी, बच्चे, बस, बादल, बातचीत, बाल, बिजली, बिल, बिल्ली, बीज, बीस, बीन' / 'तबला, तकिया, तवा, तारा, ताला, तार, तितली, तिजोरी, तिपाई, तीन, तीली, तीर' आदि शब्द लिए गए हैं। चित्रों पर की जाने वाली बातचीत भी शिक्षार्थियों के शब्द-भंडार को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। प्रवेशिका में शुरू से अंत तक इसी तरह से लगातार शब्द-भंडार को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

 न नदी	 न नल	 प पपीता	 प पत्ता
न न		प प	
 ना नारियल	 ना नाखून	 पा पालक	 पा पायल
ना ना		पा पा	

उल्लास – भाग 1, पाठ 1, पृष्ठ 8-9

- इसी प्रकार गणित की अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए भी अभ्यास के पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, पाठ 1 में 1 से 9 तक की गिनती (संख्या और संख्यांक) सिखाने के लिए मोबाइल का प्रयोग किया गया है जिस पर अंक लिखे होते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए पाठ 2 में पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के रूप में पाँच रुपए के नोटों में 5 की पहचान के अवसर दिए गए हैं। इसी पाठ में सीखे गए अंकों के आधार पर जमा और घटा करने की प्रक्रिया को लिया गया है।

■ आइए, गिनती पहचानें



इस नोट में 5 कितनी बार छपा है, निशान लगाइए और लिखिए —



इस नोट में 10 कितनी बार छपा है, निशान लगाइए और लिखिए —

■ आइए, मिलकर गिनें



दस नल 10



ग्यारह पलंग 11

शिक्षक-निर्देश — सहभागियों को प्रोत्साहित करें कि वे नोटों के आगे-पीछे वाले हिस्से पर लिखे अंकों को पहचानें और चित्र में दी गई वस्तुओं की संख्या को गिनें। चाहें तो आस-पास मौजूद चीजें भी गिन कर लिख सकते हैं।

उल्लास – भाग 1, पाठ 2, पृष्ठ 45

- प्रवेशिका के पाठों/‘थीम’ में भी एक तरह का विकास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। एक व्यक्ति के जीवन में जो-जो बातें समझना, सीखना और उनका उपयोग आवश्यक है उन सभी को प्रवेशिका में स्थान देने का प्रयास किया गया है। ये पाठ/ ‘थीम’ ‘परिवार और पड़ोस’ से शुरू होकर ‘डिजिटल साक्षरता’ तक जाते हैं और उससे जुड़ी विषय-सामग्री को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पड़ोस और परिवार एवं पड़ोस में स्वच्छता भी आवश्यक है जो हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ 13 ‘डिजिटल साक्षरता’ में वित्तीय साक्षरता को भी जोड़ा गया है ताकि हम डिजिटल उपकरणों के माध्यम से धन के लेन-देन को समझ सकें, सावधानी बरत सकें और जीवन में उसका उपयोग कर सकें। पाठ 12 ‘वित्तीय साक्षरता’ में बैंक, धन की बचत, जमा पर्ची, ए.टी.एम. कार्ड आदि के साथ ‘भीम ऐप’ (BHIM) के प्रयोग को सिखाया गया है जो कि एक डिजिटल माध्यम है। इसी तरह से प्रवेशिका के सभी पाठ इस तरह से एक-दूसरे से संयोजित हैं कि वे एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं।

■ भीम ऐप (BHIM)

भीम ऐप (BHIM) पैसों के लेन-देन का मोबाइल ऐप है। इसे ‘ई-पेमेंट’ भी कहते हैं। इसमें आप अपने मोबाइल के जरिये पैसे का लेन-देन कर सकते हैं।

- दूर बैठे किसी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं।
- बच्चों के स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं।
- बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं।
- किराने की दुकान वाले को पैसा दे सकते हैं।
- ऋण का भुगतान कर सकते हैं।



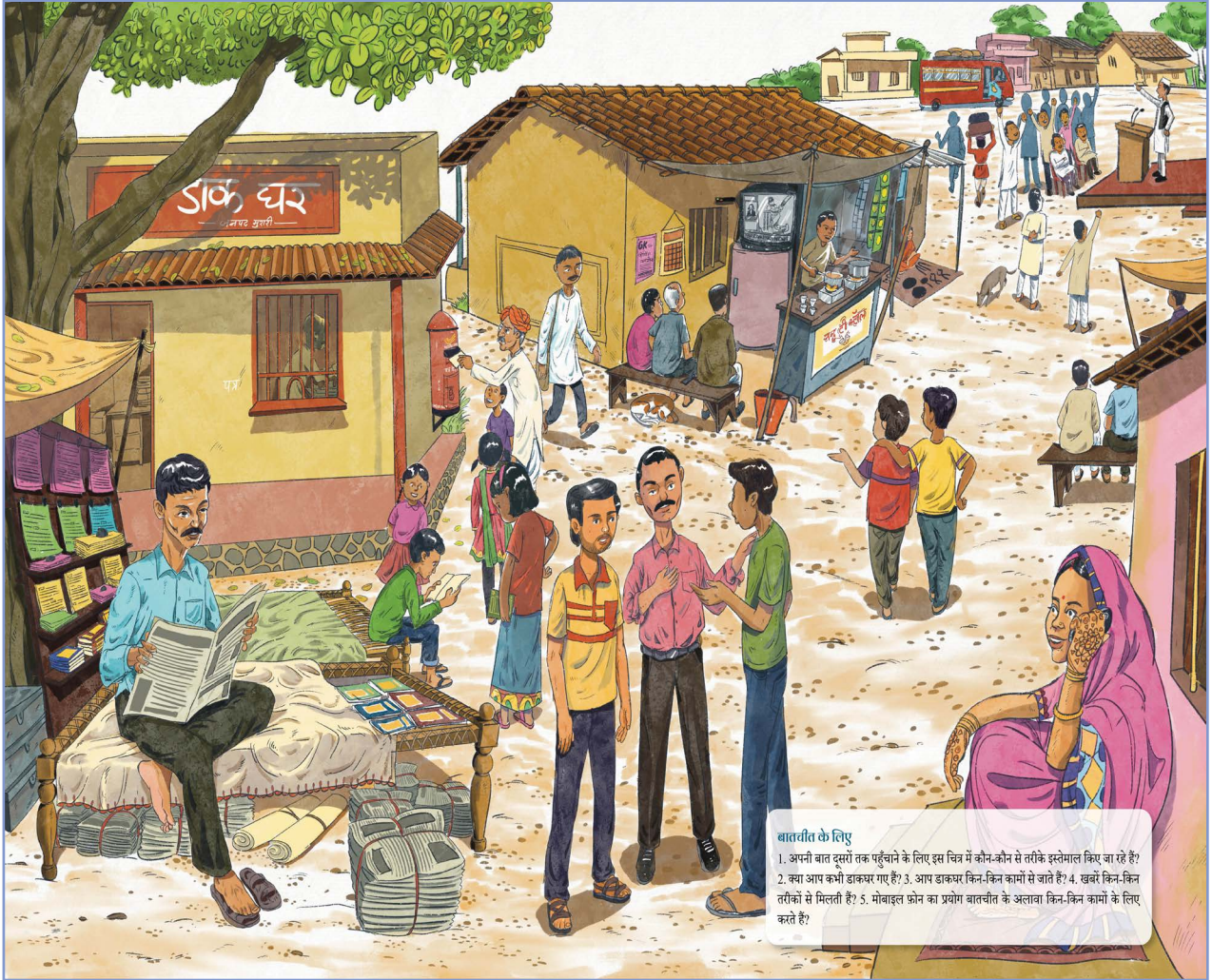
सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में भीम ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इसमें आप हिंदी के साथ-साथ 12 भारतीय भाषाओं में भी काम कर सकते हैं। इस ऐप में आप भारतीय स्टेट बैंक के साथ दूसरे लगभग 30 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं।



(स्रोत— <https://www.npci.org.in/www.npci.org.in/>
<https://www.npci.org.in/product-overview/bhim-product-overview>)

उल्लास – भाग 4, पाठ 12, पृष्ठ 280

- प्रवेशिका में चित्रों का विशेष महत्व है। वे अनुमान लगाकर पढ़ना सीखने और वस्तु विशेष के बारे में अवधारणा बनाने में मदद करते हैं। पाठ के प्रारंभ में एक पोस्टरनुमा चित्र है जिसमें एक स्थिति या घटना को दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए ‘परिवार और पड़ोस’, ‘हमारा रहन-सहन’ आदि का पोस्टरनुमा चित्र। यह चित्र शिक्षार्थियों के परिवेश से संबंधित है जिससे वे इस पर मौखिक रूप से बातचीत कर सकें, अपने अनुभव साझा कर सकें और उससे संबंधित शब्दों को अनुमान लगाकर पढ़ सकें। पढ़ना-लिखना सीखने की प्रक्रिया के प्रारंभ में लिखित भाषा अनेक शिक्षार्थियों के लिए एक तस्वीर या चित्र मात्र हो सकती है जिसे वे बाद में पढ़ना सीख जाएँगे।



उल्लास – भाग 1, पाठ 2, पृष्ठ 24-25

- इन चित्रों के साथ बातचीत के बिंदु दिए गए हैं ताकि स्वयंसेवक और शिक्षार्थियों को बातचीत के लिए कुछ संकेत मिल जाएँ। लेकिन ये संकेत केवल सुझाव-मात्र हैं। शिक्षार्थी और स्वयंसेवक बातचीत को किसी भी स्वाभाविक दिशा में ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

■ ए.टी.एम. कार्ड की संक्षिप्त जानकारी

ए.टी.एम. बैंक से पैसा निकालने व जमा करने का एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसकी सहायता से कहीं भी, कभी भी नकद पैसे निकाल सकते हैं और बैंक खाते का लेखा-जोखा भी जान सकते हैं। पैसों के लेन-देन के मामले से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए केवल बैंक से ही संपर्क करना चाहिए। ए.टी.एम. कार्ड से पैसे निकालने के लिए ए.टी.एम. मशीन का इस्तेमाल किया जाता है।



याद रखें

चैक की वैधता अंकित तिथि से 3 महीने तक मान्य होती है। 'क्रॉस चैक' केवल खाताधारक के खाते में देय होता है।

कभी किसी से साझा न करें

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ओ.टी.पी. | 2. पिन | 3. सी.वी.वी. |
| 4. खाता संबंधी जानकारी | 5. व्यक्तिगत जानकारी | |

■ के.वाई.सी. (KYC) क्या होता है?

के.वाई.सी. (KYC) (Know Your Customer) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक किसी व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करता है। अब आधार कार्ड से भी के.वाई.सी. कर सकते हैं।

के.वाई.सी. (KYC) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

- | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. पैन कार्ड | 2. बिजली का बिल | 3. आधार कार्ड | 4. आवासीय पता |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|

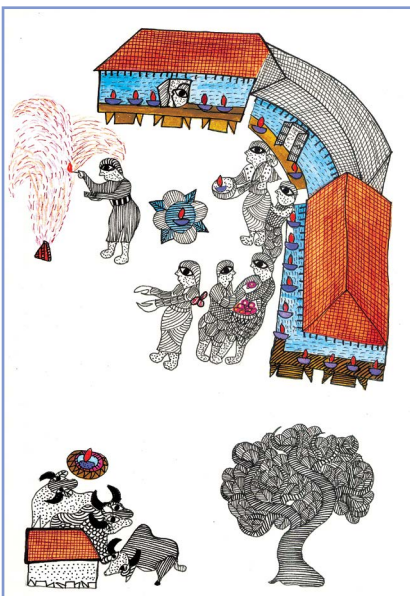
उल्लास – भाग 4, पाठ 12, पृष्ठ 278

- चित्रों में लोक कला को भी पर्याप्त स्थान और सम्मान दिया गया है। जब शिक्षार्थी अपने परिवेश से जुड़ी लोक-कलाओं को प्रवेशिका में देखेंगे तो इससे उन्हें सुखद आत्मीयता और गौरव का अनुभव होगा। यह अनुभव उन्हें पढ़ना-लिखना सीखने के लिए और अधिक प्रेरित करेगा। परिचित चीजों के साथ-साथ आने वाली अपरिचित आकृतियों को पहचानना आसान हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की लोक शैलियों में बने चित्र शिक्षार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी अपनी लोक कला, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। साथ ही इस तरह की लोक कला को वे अपने व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं।

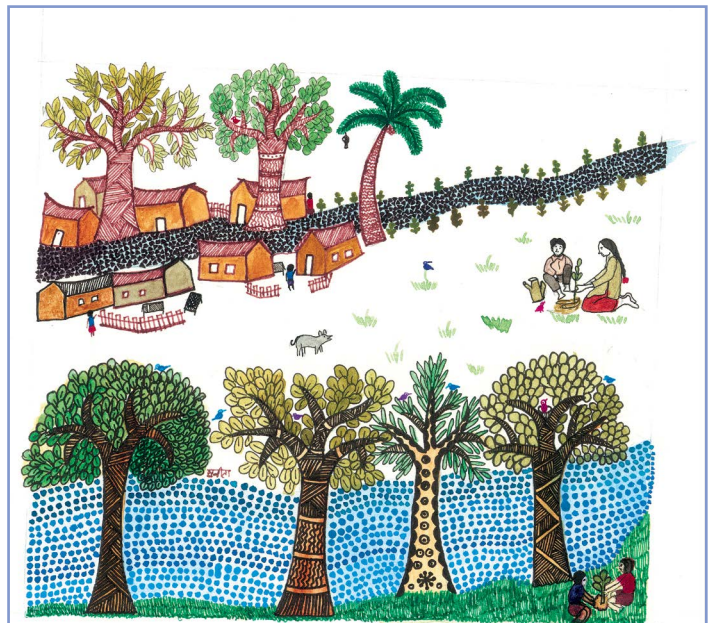
- ‘उल्लास’ का आवरण पृष्ठ बिहार की मधुबनी लोक चित्रकला का उदाहरण है तो ‘दीवाली के दीये’ और ‘सुखोमाजरी गाँव’ पाठों में क्रमशः मध्य प्रदेश की गोंड और राजस्थान की मांडना लोक चित्रकला के दर्शन होते हैं। ये चित्र एक ओर जहाँ भारतीय लोक संस्कृति से जुड़ने में सहायक होंगे, वहीं शिक्षार्थियों में संवेदना, सराहना और सौंदर्य बोध का भी संचार करने में सहायक होंगे।



‘उल्लास’ का आवरण पृष्ठ



उल्लास – भाग 1, पाठ 3, पृष्ठ 74



उल्लास – भाग 2, पाठ 4, पृष्ठ 106

- प्रवेशिका में लोक-गीतों और लोक-कथाओं को भी स्थान दिया गया है। राज्य अपने लिए प्रवेशिकाओं का विकास करते समय अपने राज्य के प्रचलित लोक-गीतों, लोक-कथाओं को प्रवेशिका में स्थान दे सकते हैं। राज्यों के लोक साहित्य से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सामग्री को अतिरिक्त पठन के लिए लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में बेंटी की विदाई के समय गाया जाने वाला औल्युंगीत – *कंवर बाईरी ओल्यु आवे ओ राजा*। इसी तरह आदिवासी क्षेत्रों में गाये जाने वाले गीत भी प्रवेशिका का हिस्सा बन सकते हैं, उदाहरण के लिए, यह मुंडारी लोकगीत –

एला रे सातो सए संता
एला रे बिसो नागपुर
तजना कंचिगड़ा लिंगि तना
कारो कुइल रे बुअल तना

(अर्थ – हे सातों इलाकों के भाइयों/ हे बीसों नागपुर के/ यहाँ तजना-काँची नदियाँ बह रही हैं/कारो-कोयल उमड़ रही है।)

■ मिलकर पढ़िए

‘दरिया’ गीत

यह एक आदिवासी लोकगीत है। यह गीत गोंड समुदाय द्वारा सावन-भादों के मौसम में खेतों में काम करते हुए गाया जाता है। इसकी भाषा में छत्तीसगढ़ी और हिंदी का मिश्रण है। इस ‘दरिया’ गीत में गूलर के पेड़ वाले खेत में नगरिया हल चलाने वाले और निदैइया- निदाई करने वाली महिला के बीच संवाद चल रहा है। वे दोनों संध्या समय में साथ जाने की बात कर रहे हैं। नगरिया कहता है, “निदैइया तुम्हारे गाने की आवाज़ नहीं आ रही, साथ में गाना गाओ। हम संध्या समय घर साथ जाएँगे।” निदैइया कहती है, “आम तोड़कर खाने के लिए बुलाया था पर आपने धोखा दिया।” नगरिया कहता है, “साथ में मिलकर गीत गाओ संध्या समय घर साथ जाएँगे।”

‘दरिया’ लोक-गीत

नगरिया – उमरिया, डुमरिया डुमर वाले
खेत तैं तो निदैइया, मैं त
नगरिया संझा के बेरा, संघे
जाबीरे दोस्त ५ ५ ५

निदैइया – गावइया गादी बइसै गाले
उमरिया, डुमरिया डुमर वाले
खेत तैं तो निदैइया, मैं तो
नगरिया संझा के बेरा, संघे जाबौ
रे दोस्त ५ ५ ५



नगरिया – नई आवे बइया
तुम्हारे आरो बइसे
गाले उमरिया,
डुमरिया डुमर वाले
खेत तैं तो निदैइया,
मैं तो नगरिया संझा
के बेरा, संघे जाबौ
रे दोस्त ५ ५ ५



निदैइया – आमाला टोरौं खाहुँच कहि के
मोला दागा माँ भुलवाए, अहुँच
कहिके वैसे गाले एइसे गाले
उमरिया, डुमरिया डुमर वाले खेत तैं
तो निदैइया, मैं तो नगरिया संझा
के बेरा, संघे जाबौ रे दोस्त ५ ५ ५

नए शब्दों के अर्थ जानिए

1. नगरिया – हलवाला (पुरुष), 2. निदैइया – निदाई करने वाली महिला, 3. डुमर – गूलर का पेड़, 4. मोला – मुझे, 5. आमाला – आम, 6. खाहुँच – खाने के लिए, 7. दागा – धोखा, 8. भुलवाए – भुलवाया, 9. आरो – आवाज़

खेत के मेड़ में डुमर के पेड़ लगे हैं, इसलिए उस खेत का नाम डुमर वाले खेत पड़ा।

■ मेरे शब्द

शिक्षक-निर्देश— ‘मनोरंजन’ विषय पर बातचीत कीजिए। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े तीन-चार शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे— ‘शाम’ के लिए ‘संझा’ आदि। सहभागियों के साथ मिलकर गीत, भावन, लोकगीत गाएँ।

उल्लास – भाग 4, पाठ 11, पृष्ठ 263-264

- शिक्षार्थियों की भाषा और मौखिक अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मौखिक भाषा के सहारे ही पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। मौखिक रूप से अपनी बात कहने का आत्मविश्वास शिक्षार्थियों को पढ़ने, लिखने और गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। अतः प्रवेशिका में शिक्षार्थियों के साथ बातचीत के पर्याप्त अवसर दिए गए हैं।

- प्रवेशिका में भारत की बहुभाषिक विशेषताओं को पूरा सम्मान दिया गया है। यद्यपि प्रवेशिका हिंदी भाषा में है और हिंदी पढ़ना-लिखना सिखाने के दृष्टिकोण से विकसित की गई है लेकिन इसमें शिक्षार्थी की स्थानीय /क्षेत्रीय भाषा-बोली को पूरा सम्मान दिया गया है। अनेक स्थानों पर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा-बोली में बातचीत करने, उत्तर देने के अनेक अवसर दिए गए हैं। इससे शिक्षार्थियों को अपनी बात करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा और वे आत्मविश्वासपूर्वक बातचीत में भाग लेंगे।

राजू की माँ

फूलों की माला बनाने में राजू अपनी माँ की सहायता कर रहा था। वह एक-एक करके फूल अपनी माँ को देता गया और संख्या बोलता गया।

10 फूलों की एक माला यानी, हर माला में 10 फूल। राजू फूल देता गया और माला बनती गई। तो आइए, समझें कि कितने फूलों के बाद एक माला तैयार होती है।

$50 + 1 = 51$	पाँच दहाई 	+	एक इकाई 	=	51 इक्यावन
$50 + 2 = 52$	पाँच दहाई 	+	दो इकाई 	=	52 बावन
$50 + 3 = 53$	पाँच दहाई 	+	तीन इकाई 	=	53 तिरेपन
$50 + 4 = 54$	पाँच दहाई 	+	चार इकाई 	=	54 चौवन

- विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को लड्डू के डिब्बे बाँटे गए। एक डिब्बे में चार लड्डू आ सकते हैं। आइए पता लगाते हैं कि 10 बच्चों को डिब्बे देने हैं तो कितने लड्डू चाहिए?

1 बच्चे को मिलेंगे  अर्थात् 1 डिब्बा 4 लड्डूओं का
1 बार 4
1 गुणा 4
या $1 \times 4 = 4$ लड्डू

2 बच्चों को मिलेंगे   अर्थात् 2 डिब्बे 4 लड्डूओं के
 $4 + 4$
2 बार 4
2 गुणा 4
या $2 \times 4 = 8$ लड्डू

3 बच्चों को मिलेंगे    अर्थात् 3 डिब्बे 4 लड्डूओं के
 $4 + 4 + 4$
3 बार 4
3 गुणा 4
या $3 \times 4 = 12$ लड्डू

4 बच्चों को मिलेंगे     अर्थात् 4 डिब्बे 4 लड्डूओं के
 $4 + 4 + 4 + 4 = 4$ बार 4
या 4 गुणा 4 = $4 \times 4 = 16$ लड्डू

5 बच्चों को मिलेंगे      अर्थात् 5 डिब्बे 4 लड्डूओं के
 $4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5$ बार 4
या 5 गुणा 4 = $5 \times 4 = 20$ लड्डू

शिक्षक-निर्देश— किसी संख्या को बार-बार जोड़ने की संक्षिप्त प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। सहभागियों को विभिन्न संदर्भों (जैसे कुर्सी के पैरों की संख्या) का प्रयोग करके 1 अंकीय संख्याओं के गुणन बनाने और लिखने के लिए प्रेरित करें।

उल्लास – भाग 2, पाठ 5, पृष्ठ 144

- प्रवेशिका में गणित की संक्रियाओं के सवालों में दैनिक जीवन के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है; जैसे- फूलों की मालाएँ बनाना, रुपए-पैसे जोड़ना, घटाना, लड्डू गिनना आदि। इन उदाहरणों को अच्छी तरह समझने के लिए परिवेश में आसानी से उपलब्ध वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग भी किया जा सकता है।

- स्वयंसेवकों और शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक पाठ में शिक्षा-निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश आसान भाषा में यह समझने में सहायता करेंगे कि उस पाठ को शिक्षार्थी और स्वयंसेवक मिलकर कैसे आगे ले जा सकते हैं।

ऊँ

ऊँ

■ चित्र देखिए और शब्द लिखिए



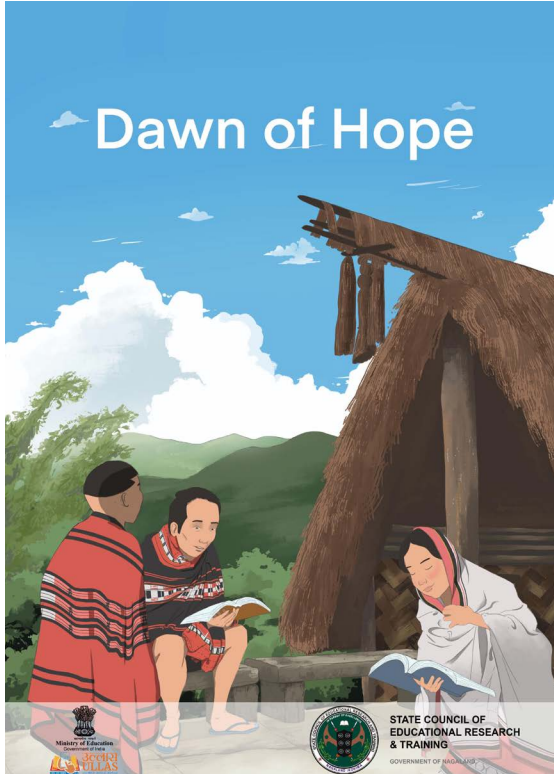
शिक्षक-निर्देश— सहभागियों से 'कुछ ऊँट ऊँचा' वाले वाक्य को बार-बार बुलवाने का प्रयास करें।

- प्रवेशिका के बेहतर उपयोग के लिए इसके साथ इसके उपयोग के विस्तृत निर्देश भी तैयार किए गए हैं ताकि स्वयंसेवक शिक्षक इस प्रवेशिका का सही तरीके से उपयोग कर सके और इसका अधिकतम लाभ शिक्षार्थियों को प्राप्त हो सके।

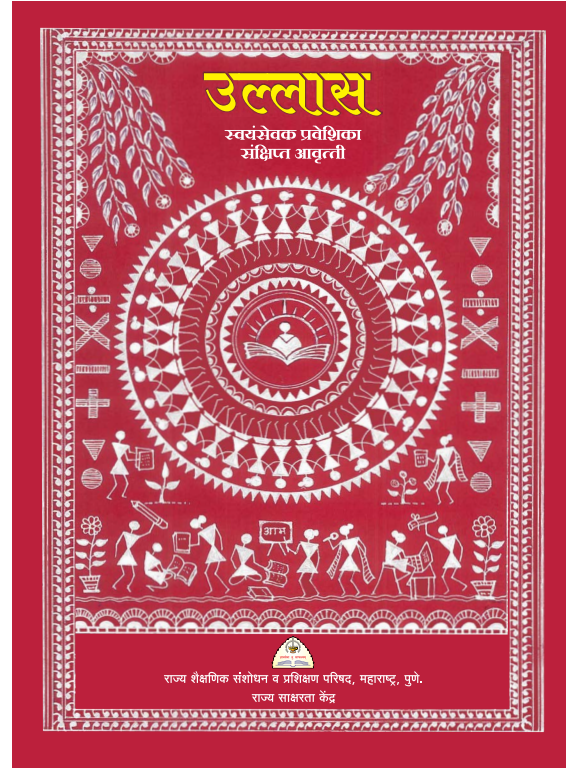
प्रवेशिका के निर्माण में यह बिंदु ध्यान रखने योग्य है कि भाषा और गणित सीखने-सिखाने की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। बुनियादी साक्षरता (भाषा और संख्या-ज्ञान) के लिए शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन के संदर्भों को शामिल करना आवश्यक है ताकि बुनियादी साक्षरता (भाषा और संख्या-ज्ञान) और जीवन जीने के बीच कोई दूरी न रहे और शिक्षार्थी यह समझ सकें कि पढ़ना-लिखना तथा संख्या-ज्ञान अंततः जीवन जीने में उनकी मदद के लिए ही है। प्रवेशिका के पाठ और जीवन के बीच का यह जुड़ाव बुनियादी साक्षरता (भाषा और संख्या-ज्ञान) के अर्जन में मदद करेगा।

प्रवेशिका निर्माण के साथ-साथ उसमें आए पाठों के अनुक्रम के अनुसार ऑडियो- वीडियो कार्यक्रम भी बना सकते हैं।

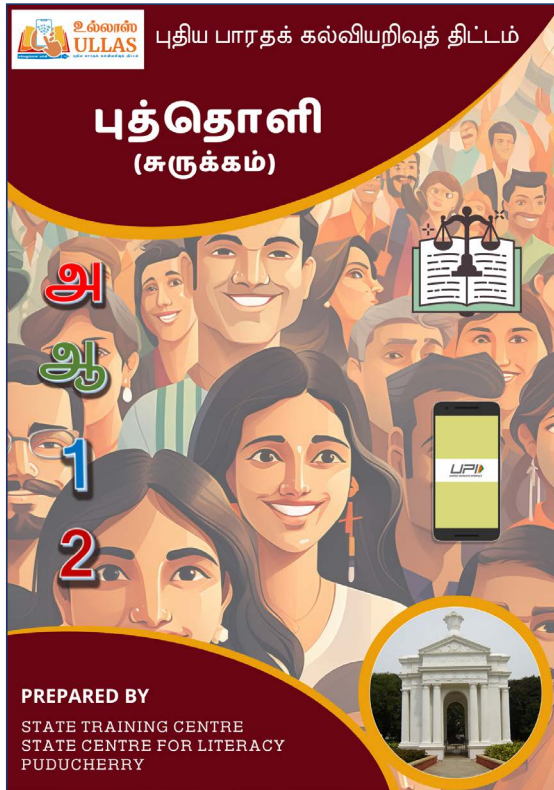
आशा है कि प्रवेशिका के निर्माण से संबंधित इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में और स्थानीय संदर्भों, परिवेश को केंद्र में रखते हुए प्रवेशिका एवं अन्य संसाधन सामग्री का निर्माण करेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रवेशिका सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। अतः शिक्षार्थियों के स्तर, क्षमता, संदर्भ और परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य सामग्री का निर्माण किया जा सकता है।



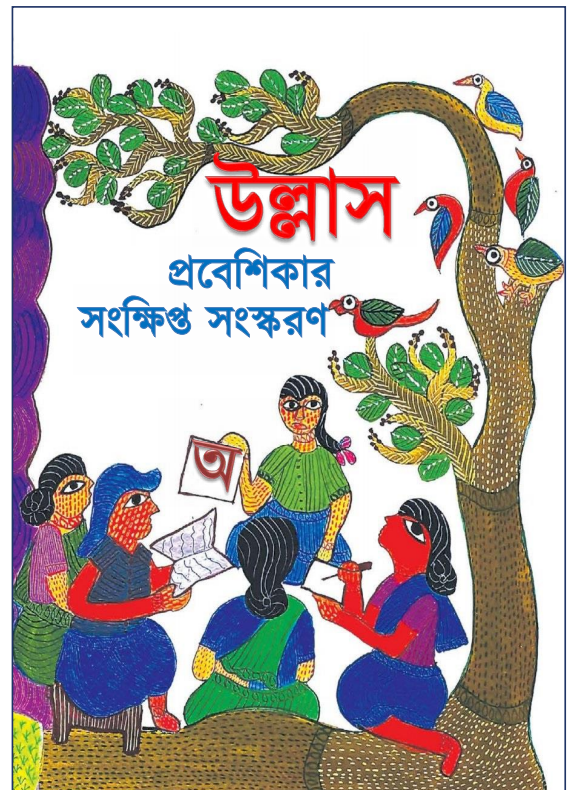
नागालैंड (अंग्रेज़ी)



महाराष्ट्र (मराठी)



புதுச்சேரி (தமிழ்)



अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (बांग्ला)



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING